सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 236 राँची, गुरुवार, 22 मई, 2025 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

21 मई, 2025

संख्या-01/नीति-05-03/2024-903--झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 एवं धारा 90 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार इस संबंध में निर्गत पूर्व के नियमों/अनुदेशों/उपबंधों को जहाँ तक वह इस नियमावली से असंगत हों, अवक्रांत करते हुए "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" बनाती है, जो निम्नलिखित है :-

अध्याय - 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरम्भ एवं परिभाषाएं

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ एवं परिभाषाएं -**

(i) यह नियमावली, **"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025"** कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएं** - इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो -

i) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915);

ii) **"अनुज्ञप्ति शुल्क"** से अभिप्रेत है, मदिरा की प्रत्येक प्रकार की खुदरा दुकानों के लिए निर्धारित अनुज्ञाशुल्क/अनुज्ञप्ति शुल्क;

iii) **"बोर्ड"** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का "बोर्ड ऑफ डायरेक्टर";

iv) **"राजस्व पर्षद"** से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड;

v) **"विहित प्रपत्र"** से अभिप्रेत है, सदस्य, राजस्व पर्षद की सहमति से विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र;

vi) **"निगम"** से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड;

vii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड;

viii) **"आयुक्त उत्पाद"** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद, झारखंड;

ix) **"मदिरा की कम्पोजिट दुकान"** से अभिप्रेत है, वैसी दुकान, जहाँ एक ही अनुज्ञप्ति के अंतर्गत देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा/विदेशी मदिरा तथा बीयर/वाईन/अन्य किसी प्रकार की मदिरा जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपभोग हेतु अनुमति दी गई हो, इत्यादि की बिक्री हो;

x) **"देशी मदिरा की दुकान"** से अभिप्रेत है, देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा/अन्य किसी प्रकार की मदिरा जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपयोग हेतु अनुमति दी गई हो, इत्यादि की बिक्री की दुकान।

xi) **"ऑफ दुकान"** से अभिप्रेत है, जहाँ मदिरा का उपभोग अनुज्ञप्ति परिसर में अनुमत न हो।

xii) **"ऑन दुकान"** से अभिप्रेत है, जहाँ मदिरा का उपभोग अनुज्ञप्ति परिसर में अनुमत हो तथा यह प्रसाधन एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से युक्त हो।

xiii) **"उत्पाद वर्ष"** से अभिप्रेत है, 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष।

xiv) **"वर्ष "** से अभिप्रेत है, 1 जनवरी से आरम्भ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि का वर्ष

xv) **"अनुज्ञप्ति प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, जिला के उपायुक्त/समाहर्त्ता।

xvi) **"विदेशी मदिरा"** से अभिप्रेत है, विभागीय अधिसूचना संख्या 470/एफ0 दिनांक 15.01.1919 में यथा परिभाषित।

xvii) **"देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा"** से अभिप्रेत है, विभागीय अधिसूचना संख्या 2141 दिनांक 24.12.2018 में यथा परिभाषित।

xviii) **"खुदरा बिक्री मूल्य (Retail Sale Price)"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली मदिरा का खुदरा बिक्री मूल्य।

xix) **"लॉटरी"** से अभिप्रेत है, आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु विभिन्न प्रकार की दुकानों की अनुज्ञप्ति प्रदान करने निमित्त सार्वजनिक रूप से एक या एक से अधिक आवेदकों के बीच दुकान/दुकानों के समूह का लॉटरी विधि द्वारा बंदोबस्ती की प्रक्रिया को सम्पन्न कराना। निष्पक्षता को दृष्टिपथ रखते हुए लॉटरी में आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित विधि अथवा ई-लॉटरी विधि भी सम्मिलित समझी जायेगी।

xx) **"बंदोबस्त पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, स्वयं अनुज्ञप्ति पदाधिकारी या अनुज्ञप्ति प्राधिकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, जो विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती सम्पन्न करायें।

xxi) **"आवेदन शुल्क"** से अभिप्रेत है, लॉटरी हेतु उत्पाद अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती के निमित्त आवेदन के साथ लिया जाने वाला शुल्क, जो अप्रत्यर्पणीय होगा/लौटाया नहीं जायेगा।

xxii) **"उत्पाद कर (Excise Duty)"** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 के तहत राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद कर।

xxiii) **"उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)"** से अभिप्रेत है, मदिरा की थोक बिक्री केन्द्र से खुदरा अनुज्ञप्ति परिसर में, मदिरा के परिवहन की अनुमति हेतु, अग्रिम रूप में अधिरोपित किया जाना वाला कर।

xxiv) **"वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (Annual Minimum Guaranteed Duty)"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा बिक्री की जाने वाली मदिरा से, एक उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला उत्पाद कर, जिसका जिलावार निर्धारण आयुक्त उत्पाद के द्वारा एवं दुकानवार निर्धारण/अनुमोदन अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।

xxv) **"वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue)"** से अभिप्रेत है, देशी/कम्पोजिट मदिरा दुकान/राज्य सरकार द्वारा अनुमत अन्य श्रेणी की दुकानों के लिए निर्धारित उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर का योग।

xxvi) **"प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit)"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकान/ दुकानों का समूह से प्राप्त किया जाने वाला कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व के 5% के बराबर की धनराशि, जिसे बंदोबस्ती में सफल आवेदक द्वारा जमा किया जायेगा एवं जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है।

xxvii) **"मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) (Monthly Minimum Guaranteed Duty)"** से अभिप्रेत है, एक उत्पाद वर्ष में प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) का इस नियमावली के तहत उत्पाद वर्ष के भिन्न-भिन्न माह में समानुपातिक रूप से अथवा वर्ष के विभिन्न माह में भिन्न-भिन्न अनुपात में इस नियमावली के अंतर्गत किये गये विभाजन के अनुसार प्रति माह प्राप्त किया जाने वाला उत्पाद कर।

xxviii) **"धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit)"** से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की पात्रता की शर्तो की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली दुकान/दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व का 1/50 वाँ भाग के बराबर की धनराशि, जो सफल आवेदक के द्वारा ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व एवं अभिलेख जमा नहीं किये जाने अथवा त्रुटिपूर्ण/कपटपूर्ण अभिलेख समर्पित करने की स्थिति में इस नियमावली के तहत वर्णित नियमों के अंतर्गत जब्त किये जाने योग्य होगी।

xxix) **"बंदोबस्ती"** से अभिप्रेत है, लॉटरी के माध्यम से दुकानों के समूह का व्यवस्थापन (Settlement), जो समाचार पत्रों एवं उत्पाद विभाग के वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं सूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिए दुकानों का व्यवस्थापन (Settlement)/नवीकरण (Renewal) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जायेगा।

xxx) **"नवीकरण"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा, विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप, आगामी उत्पाद वर्ष के लिए अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में अनुज्ञप्तियों का नवीकरण।

xxxi) **"अतिरिक्त उत्पाद कर (Additional Excise Duty)"** का तात्पर्य, देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा, विदेशी मदिरा/बीयर इत्यादि के खुदरा बिक्री मूल्य को निम्नवत उच्चतर राशि में पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अंतर राशि (मूल्य वर्धित कर सहित) से है, जो खुदरा अनुज्ञाधारियों से निगम (JSBCL) के थोक बिक्री गोदाम स्तर पर वसूलनीय होगी -

क) 01 से 90 रूपये तक खुदरा बिक्री मूल्य वाली मदिरा - अगले 5 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

ख) 91 से 950 रूपये तक खुदरा बिक्री मूल्य वाली मदिरा - अगले 10 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

ग) 951 से 1950 रूपये तक खुदरा बिक्री मूल्य वाली मदिरा - अगले 50 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

घ) 1951 से अधिक मूल्य की खुदरा बिक्री मूल्य वाली मदिरा - अगले 100 रू0 के गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

xxxii) **"व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो आवेदन करने के समय 21 वर्ष की आयु से अन्यून हो एवं भारत का नागरिक हो।

xxxiii) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/साझेदारी फर्म/HUF खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन, आवेदक के द्वारा किया जायेगा।

xxxiv) **"मॉडल शॉप"** से अभिप्रेत है, केवल नगर निगम एवं नगरपरिषद क्षेत्र में अवस्थित, वातानुकूलित एवं 600 वर्गफीट से अन्यून क्षेत्रफल वाली कम्पोजिट ऑन दुकान, जिसके अनुज्ञाधारी के पास मदिरापान करने वाले व्यक्तियों को अल्पाहार प्रस्तुत करने के लिए किचन एवं प्रसाधन की व्यवस्था हो। यह मॉडल शॉप कम्पोजिट मदिरा की ऑफ बिक्री की दुकान के ही धारक को दी जा सकेगी, जिसके लिए इच्छुक अनुज्ञाधारी का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 5% बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा। मॉडल शॉप के तहत मदिरापान की अनुमति खुदरा उत्पाद दुकान से संलग्न परिसर में ही दी जायेगी;

xxxv) **"मॉल में मदिरा की कम्पोजिट ऑफ दुकान"** से अभिप्रेत है, 50000 वर्गफीट से अन्यून क्षेत्रफल वाले मॉल में संचालित की जाने वाली मदिरा की कम्पोजिट दुकान। मॉल में संचालित की जाने वाली इस प्रकार की दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होना चाहिए;

xxxvi) **"पॉपुलर ब्रांड"** से अभिप्रेत है, मदिरा {भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/ वाईन/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)} के वैसे ब्राण्ड, जिनका संपूर्ण झारखंड राज्य में बाजार हिस्सेदारी (Market Share) अपने (उत्पाद कर कटेगरी) कटेगरी में 10% से अधिक हो। समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा पॉपुलर ब्रांड की सूची बिक्री के अनुसार जारी की जायेगी। मदिरा की खुदरा बिक्री के सभी अनुज्ञाधारी पॉपुलर ब्राण्ड को दुकान में अवश्य रखेंगे;

xxxvii) **"मदिरा के थोक विक्रेता का थोक विक्रय मूल्य"** से अभिप्रेत है, खुदरा अनुज्ञाधारी को मदिरा की बिक्री हेतु निर्धारित मूल्य, जिसमें मदिरा के आपूर्तिकर्त्ता द्वारा समर्पित Ex-Distillery/Ex-Brewery/Ex-Winery Price, मदिरा के थोक विक्रेता के गोदाम में संचयन के पूर्व सभी प्रकार के उत्पाद कर एवं शुल्क, मूल्यवर्धित कर, अतिरिक्त उत्पाद कर तथा मदिरा के थोक विक्रेता का लाभांश सम्मिलित है;

xxxviii) **"मदिरा (Liqour)"** से अभिप्रेत है, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 2 (14) में यथा परिभाषित पेय/शराब;

xxxix) **"लागर बीयर (Lager Beer)"** से अभिप्रेत है, वैसी बीयर जिसकी शक्ति 5% v/v के बराबर अथवा इससे कम हो;

XL) **"थोक विक्रेता"** से अभिप्रेत है, वैसे संस्थान, जिन्हें मदिरा के थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

XLi) "**Landing Price"** से अभिप्रेत है, Ex-Distillery/Ex-Brewery/Ex-Winery Price, उत्पाद कर एवं मूल्य वर्धित कर का योग;

नोटः- इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्द, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का तात्पर्य वही होगा, जो झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) एवं उसके अंतर्गत बनायी गई अन्य नियमावली में है।

अध्याय - 2

दुकानों का प्रकार

3. **खुदरा उत्पाद दुकानों का प्रकार -**

i. **देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान** - इन दुकानों में देशी मदिरा के अतिरिक्त मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा की भी बिक्री की जायेगी। ऑन बिक्री हेतु स्थल की अनुपलब्धता की दशा में अनुज्ञाधारी के अनुरोध पर इन दुकानों से केवल ऑफ बिक्री की भी अनुमति दी जा सकेगी। ऑफ बिक्री हेतु स्वीकृति मिलने की स्थिति में झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत ऑन दुकानों से संबंधित बंधेज, देशी मदिरा की ऑफ दुकानों के लिए लागू नहीं होंगे।

ii. **ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान** - इन दुकानों में देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन इत्यादि की बिक्री की जायेगी। ये दुकानें इस नियमावली के नियम 21 के आलोक में जिलान्तर्गत किसी भी क्षेत्र में खोली जा सकेंगी। अनुज्ञाधारी की ऑफ कम्पोजिट दुकान को ऑन कम्पोजिट दुकान में उत्क्रमित किये जाने पर निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में 5% की वृद्धि कर दी जायेगी। वर्ष के मध्य में दुकान की प्रकृति 'ऑफ से ऑन' किये जाने की स्थिति में वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में वृद्धि मासिक समानुपातिक होगा। इस प्रकार की दुकानों में खुदरा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा/विदेशी मदिरा तथा बीयर/वाईन/अन्य किसी प्रकार की मदिरा जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपभोग हेतु अनुमति दी गई हो, की बिक्री कर सकेंगे।

iii. **मॉडल शॉप** - मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकानों के पास मॉडल शॉप के लिए निर्धारित शर्तो के अनुरूप स्थल होने पर उनके आवेदन के आधार पर जाँचोपरांत मॉडल शॉप में उत्क्रमित (Upgrade) कर दी जायेगी। इन दुकानों में देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा/विदेशी मदिरा तथा बीयर/वाईन/अन्य किसी प्रकार की मदिरा जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपभोग हेतु अनुमति दी गई हो, की बिक्री की जायेगी। ये दुकानें ऑन प्रकृति की होंगी। ये दुकानें केवल नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्रों में ही खोली जायेंगी। उत्क्रमित होने की दशा में इन दुकानों के लिए पूर्व निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व में 5% की वृद्धि कर दी जायेगी। वर्ष के मध्य में ऑन कम्पोजिट शराब दुकान को मॉडल शॉप में उत्क्रमित

किये जाने की स्थिति में वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में वृद्धि मासिक समानुपातिक होगा।

iv. **मॉल में मदिरा की कम्पोजिट दुकान** - इस प्रकार की दुकान केवल वैसे मॉल में खोली जा सकेंगी, जिसके कारपेट एरिया का क्षेत्रफल 50000 वर्गफीट से अन्यून हो (पार्किंग एरिया को छोड़कर)। एक मॉल में अधिकतम दो दुकान खोली जा सकेंगी। इन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदक विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करेगा। ये अनुज्ञप्तियाँ ऑफ प्रकृति की होंगी। ये अनुज्ञप्तियाँ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की जायेंगी एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित उत्पाद राजस्व की शर्तों के अनुरूप किया जायेगा। इन दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Minimum Guaranteed Revenue) निर्धारित नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु पात्रता खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार होगी। इस अनुज्ञप्ति के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा की 2000 रूपया से कम खुदरा विक्रय मूल्य की मदिरा नहीं बेची जायेगी। इनके द्वारा सभी पैक साइज एवं मूल्य की आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), लागर बीयर, वाईन एवं ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी के द्वारा मदिरा का उठाव मदिरा में सन्निहित उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर), अतिरिक्त उत्पाद कर एवं नियमानुसार लागू मूल्य वर्धित कर के पूर्णरूपेण जमा करने के उपरांत किया जायेगा। इन दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क 3 लाख 60 हजार रूपये प्रति वित्तीय वर्ष होगा। वित्तीय वर्ष के मध्य में अनुज्ञप्ति मिलने पर मासिक समानुपातिक रूप से अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। उक्त अनुज्ञप्ति हेतु जमानत (Security Deposit) की राशि 10 लाख रूपये होगी।

v. आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की बिक्री के लिए अनुज्ञाधारियों को अलग से 50 (पचास) हजार रूपये वार्षिक विशेषाधिकार शुल्क नहीं देना होगा, जैसा कि भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के दुकान के झारखंड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012 में प्रावधानित है। आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के झारखंड राज्य में आयात, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री नियमावली, 2012 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

4. **मॉडल शॉप्स का संचालन** - (i) मॉडल शॉप्स का संचालन करने के लिए इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान की बंदोबस्ती प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। यदि आवेदक मॉडल शॉप्स का संचालन करना चाहता है, तो उसे अपनी मदिरा की कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञप्ति को मॉडल शॉप में उत्क्रमित करने के लिए अलग से आवेदन करना होगा।

(ii) मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान की बंदोबस्ती में सफल व्यक्ति, जो मॉडल शॉप्स का संचालन करना चाहता है, वह उक्त स्थल के नक्शे एवं स्थल संबंधित कागजातों के साथ विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आवेदन समर्पित करेगा।

(iii) जिस व्यक्ति के पास मॉडल शॉप के संचालन हेतु आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं, वे ही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्षों में किया जा सकेगा।

(iv) मॉडल शॉप के इन अनुज्ञाधारियों के लिए अनिवार्य रूप से कुल उत्पाद राजस्व का 5% अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित की जायेगी। प्रत्येक मॉडल शॉप को अपने आप को अनिवार्य रूप से "ऑन" दुकानों की अवस्थिति से संबंधित बंधेजों से युक्त रखते हुए मदिरापान हेतु वातानुकूलित कक्ष, टेबल, कुर्सी, प्रसाधन एवं स्वच्छ किचन की व्यवस्था करनी होगी।

(v) प्रत्येक मॉडल शॉप को अपनी दुकान में झारखंड राज्य में प्रचलित पॉपुलर ब्रांड की उपलब्धता सुनिश्चित कराना अनिवार्य है।

अध्याय - 3
बंदोबस्ती की प्रक्रिया

5. **खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण** - जिला में संचालित की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या (देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान, ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान) एवं स्थान का आकलन जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की मदद से किया जायेगा। जिला हेतु निर्धारित कुल उत्पाद दुकानों की शत-प्रतिशत बंदोबस्ती सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी जिला के उपायुक्त/समाहर्त्ता एवं सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की होगी।

6. **खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाले न्यूनतम उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) एवं अनुज्ञप्ति शुल्क का निर्धारण** - राज्य स्तर पर खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व का जिलावार आकलन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। दुकानों से प्राप्त होने वाली उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर की गणना इस नियमावली के अनुसूची - 1 के अनुरूप किया जायेगा। राज्य सरकार के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाला उत्पाद राजस्व में उत्पाद कर (Excise Duty) एवं उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) के अनुपात में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्त्तन किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर आकलित इस उत्पाद राजस्व लक्ष्य का जिलावार वितरण आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा निगम (JSBCL) के खाते में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा तथा उत्पाद कर मदिरा की विनिर्माता कम्पनी के द्वारा राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप अग्रिम रूप से कोषागार में जमा किया जायेगा।

आयुक्त उत्पाद के द्वारा जिलावार निर्धारित उत्पाद राजस्व लक्ष्य के अनुरूप दुकानवार राजस्व लक्ष्य एवं तदनुरूप न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) (Minimum Guaranteed Duty) एवं उत्पाद परिवहन कर का निर्धारण/अनुमोदन जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा किया जायेगा। दुकानवार उत्पाद राजस्व लक्ष्य का निर्धारण करने हेतु आयुक्त उत्पाद के द्वारा बंदोबस्ती के लिए दिशा-निर्देश सभी उपायुक्त/समाहर्त्ता/उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को दिया जायेगा, इन दिशा-निदेशों का अनुपालन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

7. **खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रस्तावों का प्रेषण** - जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष के लिए/वित्तीय वर्ष के मध्य में भी खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती का प्रस्ताव झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) में वर्णित सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आयुक्त उत्पाद के पास भेजा जायेगा। आयुक्त उत्पाद की सहमति के उपरांत ही जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त के द्वारा दुकानों की संख्या एवं स्थान को अंतिम रूप देते हुए उत्पाद कर (Excise Duty) एवं उत्पाद परिवहन

कर (Excise Transport Duty), अनुज्ञप्ति शुल्क, धरोहर धनराशि एवं आवेदन शुल्क के साथ बंदोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी।

8. **बिक्री अधिसूचना का प्रकाशन** - (i) विहित रीति से उत्पाद अनुज्ञप्तियों की लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती के लिए बिक्री अधिसूचना राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित उत्पाद प्रपत्र 127 में जिला के उपायुक्त/समाहर्त्ता के द्वारा प्रकाशित की जायेगी। इस बिक्री अधिसूचना की एक प्रति समाहरणालय/जिला उत्पाद कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। बिक्री अधिसूचना का प्रकाशन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भी कराया जायेगा। बिक्री अधिसूचना सामान्यतः बंदोबस्ती की तिथि से 15 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी, परंतु विशेष परिस्थिति में 15 दिनों से कम समय में भी बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की जा सकेगी।

(ii) बिक्री अधिसूचना की शर्तें अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें मानी जायेंगी।

(iii) बिक्री अधिसूचना में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्त की जाने वाली प्रत्येक दुकान का ब्यौरा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी), वार्षिक न्यूनतम उत्पाद परिवहन कर, वार्षिक अनुज्ञाशुल्क, धरोहर धनराशि एवं आवेदन शुल्क संबंधी ब्यौरा अंकित किया जायेगा।

9. **खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि का निर्धारण** - (i) विभिन्न जिलों में किसी अवधि के लिए बंदोबस्ती हेतु लॉटरी की प्रथम तिथि का निर्धारण आयुक्त उत्पाद द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित की जायेगी। बंदोबस्ती की इन तिथियों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने जिलों से संबंधित दुकान/दुकानों के समूह की विस्तृत सूची एवं वांछित सूचनाओं को प्रकाशित कराते हुए आवेदन आमंत्रित करेंगे तथा निर्धारित तिथियों को विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की कार्रवाई संपादित करायेंगे।

(ii) अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती हेतु लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा की जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं प्रकाशित किया जायेगा। राजस्वहित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु यथाशीघ्र (किसी चरण में संपूर्ण बंदोबस्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।

(iii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ करने की तिथि, आयुक्त उत्पाद द्वारा अलग से घोषित की जायेगी।

10. **मदिरा की खुदरा विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता की अनिवार्य शर्तें-**

(i) मदिरा की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति हेतु कोई भी व्यक्ति/कम्पनी/निबंधित साझेदारी फर्म/ HUF पात्र हो सकता है।

(ii)(क) आवेदक (व्यक्ति/कम्पनी के निदेशक/निबंधित साझेदारी फर्म के अधिकृत साझेदार/संस्थान के जिम्मेवार सदस्य), भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।

ख) आवेदक, व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

ग) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915), स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मितियों (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

घ) आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया न हो।

ङ) आवेदक दिवालिया न हो।

(iii) आवेदक, यदि कम्पनी/निबंधित साझेदारी फर्म/संस्थान हो, तो कम्पनी के सभी निदेशक एवं साझेदारों के लिए उपरोक्त शर्तों के अनुरूप योग्यता रखना आवश्यक होगा।

11. **आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात-** झारखंड राज्य के किसी जिले में मदिरा की खुदरा विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदक, विहित प्रपत्र में अपना लिखित आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकार के समक्ष समर्पित करेंगे। आवेदन में निम्न विवरणी का उल्लेख तथा कागजातों का संलग्न किया जाना आवश्यक होगा -

(क) आवेदक यदि व्यक्ति/अविभाजित हिन्दु परिवार (Hindu Undivided Family) हो,

i. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार एवं स्थायी सहित);

ii. आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति;

iii. आवेदक के बैंक खाता की विवरणी;

(ख) आवेदक, यदि साझेदारी फर्म हो, तो नियम 11 (क) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कागजात समर्पित करने होंगे -

i. नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित निबंधित साझेदारी फर्म से संबंधित विलेख (Deed) की प्रति;

ii. सभी साझेदारों का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार एवं स्थायी);

iii. सभी साझेदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं निबंधित साझेदारी फर्म का पैन कार्ड की प्रति;

iv. चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित साझेदारी फर्म का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;

v. सभी साझेदारों के बैंक खाता की विवरणी;

vi. निबंधित साझेदारी फर्म द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिटर्न एवं सभी साझेदारों का विगत तीन वित्तीय वर्षो का व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की प्रति एवं यदि आयकरदाता नहीं है, तो नियम 12(x) के अनुरूप शपथ पत्र समर्पित करेगा;

(ग) आवेदक, यदि कम्पनी हो, तो नियम 11 (क) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कागजात समर्पित करने होंगे -

i. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति;

ii. कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) की प्रति;

iii. कम्पनी का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस सीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);

iv. कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 12/29/32 की प्रति;

v. कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;

vi. कम्पनी एवं सभी निदेशकों का विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति;

vii. कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षो का मूल्य वर्धित कर (यदि लागू हो, तब)/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति;

viii. कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की खुदरा विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति;

ix. कम्पनी के सभी निदेशकों के चालू बैंक खाता की प्रति;

x. CA द्वारा निर्गत कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;

(घ) प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति/कम्पनी/साझेदारी फर्म/अन्य संस्थान) को नियम 11 (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्न कागजात भी आवेदन के साथ समर्पित करने होंगे -

i. अप्रत्पर्णीय आवेदन शुल्क से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन पेमेंट की भुगतान की मूल प्रति;

ii. नियमावली के नियम 2 (xxviii) के अनुसार धरोहर धनराशि;

iii. अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत उत्पाद विभाग के साथ सम्व्यवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडाटा;

iv. इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के अनुरूप शपथ पत्र;

v. वांछित सभी दस्तावेजों का पृष्ठ संख्या के साथ निर्देशिका (Index) विवरणी;

vi. आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

12. **खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए आवेदन के साथ समर्पित किया जाने वाला शपथ पत्र-** आवेदक निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र समर्पित करेगा :-

i. यह कि वह भारत का नागरिक है एवं 21 वर्ष से अधिक आयु का है।

ii. यह कि वह समय-समय पर यथा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के प्रावधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है एवं परिसर नहीं प्राप्त करने की स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

iii. यह कि दुकान के परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

iv. यह कि उसका/उसके साझेदारों/निदेशक मंडल का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

v. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो।

vi यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा एवं दुकान के विक्रेता बिक्री काल में उसे पहने रहेंगे।

vii. यह कि उसपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

viii. यह कि वह सक्रिय रूप से अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाए। अनुज्ञप्ति निरस्त होने के फलस्वरूप पुनर्बंदोस्ती होने की मध्यावधि में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व क्षति की वसूली भी दोषी अनुज्ञप्तिधारी से कर ली जाय।

ix. यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्धारित धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) विभाग के राजकीय खाते में विहित विधि अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जैसा कि आयुक्त उत्पाद निर्धारित करें, आवेदन के साथ जमा करेगा।

x. यह कि वह आयकरदाता है एवं यदि वह आयकरदाता नहीं है, तो खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में चयन होने के उपरांत वह आगामी वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

xi. यह कि वह दिवालिया नहीं है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के सम्व्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका ब्यौरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाईसेंस प्राधिकार को उपलब्ध करा देगा।

xii. यह कि वह भारतवर्ष के किसी भी राज्य में मदिरा के विनिर्माण, वितरकता एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है।

xiii. यह कि वह खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को सबलीज नहीं करेगा।

xiv. यह कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत आवेदक अनुसूचित (Scheduled) बैंक में चालू खाता खोलेंगे।

xv. यह कि यदि वह दुकान की बंदोबस्ती हेतु लॉटरी में सफल होता है, तो 5 दिनों के अंदर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा।

xvi. यह कि वह बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर छेड़.छाड़ नहीं करेगा। अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखेगा, न ही दुकान में नॉन ड्यूटी पेड स्टॉक रखेगा। ऐसा करते पाये जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

xvii. यह कि ऑफ अनुज्ञप्ति परिसर में खुली मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी तथा मदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण एवं उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण नहीं किया जायेगा। ऐसा करते पाये जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

xviii. यह कि उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि विभाग/सरकार को मिलती है, तो उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है एवं इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे एवं उनके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

xix. यह कि उनके द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' को पढ़ लिया गया है और वे इसके सभी प्रावधानो/शर्तों से सहमत हैं।

13. **आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात** - लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती में भाग लेने वाले आवेदकों को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण पत्र (Identity Proof) एवं आवास के प्रमाण हेतु कागजात निम्न तालिका के अनुसार समर्पित करने होंगे :-

क्र. सं.	वैयक्तिक पहचान पत्र से संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)	निवास के प्रमाण से संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)	पत्राचार पता से संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)
1	आधार कार्ड	पासपोर्ट/आधार कार्ड	पासपोर्ट
2	मतदाता पहचान पत्र	अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र	मतदाता पहचान पत्र
3	आयकर विभाग द्वारा निर्गत Permanent Account Number (PAN)	बिजली बिल	ड्राईविंग लाइसेंस
4	ड्राईविंग लाइसेंस	टेलिफोन बिल	आधार कार्ड
5	-	बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटस	बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंटस
6	कम्पनी के Incorporation Certificate तथा सभी निदेशकों का डिन संख्या	कम्पनी के प्रपत्र 12/29/32 की प्रति	कम्पनी के प्रपत्र 12/29/32 की प्रति

उपरोक्त के अतिरिक्त विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक है :-

i. विहित प्रपत्र में फोटोयुक्त आवेदन

ii. आधार कार्ड

iii. इस नियमावली के नियम 12 में वर्णित शर्तो के अनुरूप शपथ पत्र

iv. कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर का योग) का 1/50वाँ भाग के समतुल्य धरोहर राशि (Earnest Money Deposit)।

v. अपने बैंक खाता/बैंक खातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

vi. पैन कार्ड एवं ITR/GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण संलग्न करना होगा -

क्र0	दुकान का प्रकार	पैन कार्ड/ GSTIN	*ITR/GST Return*	*ITR/GST Return में दर्ज आय/ Turnover*
1	देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान	PAN अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।	-
2	ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	{गत कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)}
3	मॉल में मदिरा की कम्पोजिट ऑफ दुकानें	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	5 लाख रूपये से अधिक {गत कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)}

नोट - (क) राज्य में मदिरा के विनिर्माणकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता अनुज्ञप्तिधारी, खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे। कंपनी या साझेदारी फर्म के मामले में इसके निदेशक या साझेदार एकल आवेदक के रूप में खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे।

ख) नियमावली के नियम 10, 11, 12 एवं 13 में आवेदन से संबंधित विशिष्टियों के धारण नहीं करने की स्थिति में आवेदक के साथ आवंटित लॉटरी/बंदोबस्ती निरस्त कर दी जायेगी एवं उनके द्वारा जमा संपूर्ण राशि (जमानत राशि, अग्रिम उत्पाद परिवहन कर एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) जब्त कर लिया जायेगा।

14. **आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क** - (i) दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती में भाग लेने वाला अभ्यर्थी अपेक्षित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) के साथ विहित आवेदन प्रपत्र में सभी वांछित कागजातों के साथ विहित विधि से आवेदन समर्पित करेगा। ई-लॉटरी विधि से दुकानों की बंदोबस्ती सम्पन्न कराये जाने की स्थिति में आवेदक को इस नियमावली की अनुसूची - 1 में वर्णित आवेदन शुल्क जमा कराया जायेगा।

(ii) अनुवर्त्ती उत्पाद वर्षो के लिए आवेदन शुल्क एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

(iii) किसी भी दुकान/दुकानों के समूह के लिए एक आवेदक के द्वारा अधिकतम तीन आवेदन समर्पित किये जा सकते हैं, बशर्तें उस दुकान समूह के लिए निर्धारित अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क एवं धरोहर धनराशि संलग्न की गई हो। कोई भी आवेदक राज्य के सभी दुकान समूह हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है।

(iv) आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होगा अर्थात वापस अथवा सामंजित नहीं किया जायेगा।

(v) आवेदन का प्रपत्र, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के विभागीय पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी अथवा किसी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा अथवा विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा (जैसा कि आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित किया जाय)।

(vi) अपूर्ण आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

15. **खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु समूह का गठन** - (i) मदिरा की खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का गठन न्यूनतम एक तथा अधिकतम चार दुकानों के समूह के रूप में किया जा सकेगा। समूह के गठन में बंदोबस्त पदाधिकारी/जिला के उपायुक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि समूहवार बंदोबस्ती में जिला की शत.प्रतिशत दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जा सके।

(ii) **समूह (Cluster of Shops) का निर्धारण** - बंदोबस्त पदाधिकारी/जिला के उपायुक्त सर्वप्रथम जिला के सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को उनकी विशिष्टता के आधार पर चार श्रेणियों यथा, सर्वोत्तम, उत्तम, सामान्य एवं औसत में विभक्त करेंगे। समूह (Cluster of Shops) के निर्धारण करते समय उक्त चारों श्रेणी के खुदरा उत्पाद दुकानों के क्रमचय एवं संयोजन (Permutation And Combination) से समूह का निर्धारण करेंगे, ताकि कोई भी समूह आवेदक के नजर में लाभकर ही प्रतीत हो, जिससे शत.प्रतिशत बंदोबस्ती सुनिश्चित हो सके।

(iii) एक जिले में एक आवेदक अधिकतम तीन दुकान/दुकानों के समूह की ही बंदोबस्ती ले सकेगा। उदाहरणस्वरूप - यदि किसी आवेदक का नाम किसी जिला की चार दुकानों के एक समूह के लिए चयनित होता है, तो वह अधिकतम 04 दुकान का ही अनुज्ञप्तिधारी होगा। उसी प्रकार यदि आवेदक चार दुकानों के तीन समूह के लिए चयनित हो जाता है, तो वह बारह दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी रह सकेगा। इस प्रकार कोई भी आवेदक एक जिला में अधिकतम बारह दुकानों की ही बंदोबस्ती ले सकेगा।

किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा बंदोबस्ती के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जा सकेगा।

(iv) किसी भी आवेदक के साथ संपूर्ण झारखंड राज्य में अधिकतम 9 दुकानों का समूह की बंदोबस्ती की जा सकेगी अर्थात एक आवेदक के साथ अधिकतम 9 से 36 तक की संख्या में दुकानों की बंदोबस्ती की जा सकेगी। आवेदक के द्वारा जमा की गई आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होगा।

16. **खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती की प्रक्रिया** - (i) योग्य आवेदकों के बीच खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती, लॉटरी विधि से अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद विनिश्चित करें, की जायेगी। लॉटरी ऑनलाइन विधि (Online Mode) से की जायेगी।

(ii) किसी दुकान/दुकानों के समूह के लिए एकल आवेदन प्राप्त होने की दशा में उस आवेदक के साथ दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती कर दी जायेगी। दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, अधिकतम तीन योग्य आवेदकों का चयन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सफल लॉटरी विजेता के रूप में क्रमवार ढंग से किया जायेगा। सर्वप्रथम दुकान की बंदोबस्ती प्रथम सफल चयनित आवेदक के साथ की जायेगी। प्रथम सफल आवेदक द्वारा यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व (अनुसूची-1 के अनुसार) नहीं जमा किया जाता है, तो दुकान की बंदोबस्ती द्वितीय सफल आवेदक के साथ की जायेगी। यदि द्वितीय सफल आवेदक भी बंदोबस्ती लेने के लिए ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व (अनुसूची-1 के अनुसार) नहीं जमा करता है, तो दुकान की बंदोबस्ती तृतीय सफल आवेदक के साथ की जायेगी। तृतीय सफल आवेदक भी यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व (अनुसूची-1 के अनुसार) नहीं जमा करता है, तो दुकान की पुनर्बंदोबस्ती विज्ञप्ति प्रकाशित करके की जायेगी।

लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती लेने के लिए यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व (अनुसूची-1 के अनुसार) जमा नहीं किया जाता है, तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम काली सूची में (पाँच वर्षो के लिए) दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक काली सूची में दर्ज अवधि में संपूर्ण झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार के उत्पाद अनुज्ञप्ति के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(iii) कोई भी आवेदक एक जिला में बंदोबस्ती हेतु गठित दुकानों के तीन दुकान/दुकानों के समूह से अधिक की बंदोबस्ती नहीं ले सकेंगे। लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के तीन दुकान/दुकानों के समूह में लॉटरी द्वारा चयन होने के उपरांत उस आवेदक का नाम उस जिला के लिए योग्य आवेदकों की सूची से हटा ली जायेगी एवं उसका आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होगा।

17. **बंदोबस्ती हेतु सक्षम प्राधिकार** - जिला मुख्यालयों में बंदोबस्ती अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। यदि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी किसी अपरिहार्य कारणों से स्वयं बंदोबस्ती का संचालन करने में असमर्थ हो, तो इस हेतु वे उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद अथवा अन्य पदाधिकारी, जिसे वे उचित समझें, को बंदोबस्ती कराने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती की समस्त कार्रवाई की जायेगी तथा इसका अनुमोदन अनुज्ञप्ति पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

18. **खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की कालावधि** - (i) इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ दुकानों के संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से सामान्यतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबस्त की जायेंगी। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षो के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त्त के अनुसार किया जा सकेगा। किन्तु जिला के खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केवल तभी किया जा सकेगा, जबकि उस जिला की निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का

कम-से-कम 95% उत्पाद राजस्व के समतुल्य अनुज्ञप्तियां का नवीकरण जिला के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कराया जाय। इस संबंध में बंदोबस्ती की गणना करते हुए गणित के सन्निकटीकरण नियम का उपयोग किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप - 94.50% से अधिक बंदोबस्त दुकान को भी 95% बंदोबस्त माना जायेगा।

इस नियमावली के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती किये जाने की स्थिति में निर्गत अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2026 तक के लिए प्रदान की जायेगी। न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का मासिक वितरण किया जायेगा। अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में इस नियमावली के नियम 19 में वर्णित शर्तो के आलोक में तथा खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में न्यूनतम 10% वृद्धि के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जायेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति अवधि में विखंडित दुकानों एवं अनवीकृत दुकानों की पुनर्बंदोबस्ती, विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दुकान के विखंडित होने के एक सप्ताह के अंदर पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करते हुए बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जायेगी, ताकि सरकार को राजस्व की क्षति न हो।

19. **अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया** - प्रत्येक आगामी उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के द्वारा अपनी-अपनी अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु आवेदन चालू वित्तीय वर्ष के 20 जनवरी तक जमा कर दिया जायेगा। केवल उन्हीं अनुज्ञप्तियों के नवीकरण पर विचार किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करते हैं :-

i. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से माह दिसम्बर तक की अवधि में ससमय उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) जमा कर दिया गया हो। यदि उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) विलंब से जमा किया गया हो, तो तदनुसार विलंब शुल्क भी इनके द्वारा जमा कर दिया गया हो।

ii. अनुज्ञाधारी द्वारा माह दिसम्बर तक के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव कर लिया गया हो। यदि न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार को हुई उत्पाद राजस्व क्षति के समतुल्य की राशि दण्ड स्वरूप ससमय कोषागार में जमा कर दी गई हो।

iii. अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्व क्षति व दुकान संचालन से संबंधित गंभीर अनियमितता दर्ज नहीं की गई हो।

iv. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु नियम 18 में निर्धारित दर पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर तथा जमानत की राशि की अंतर राशि जमा कर दी गई हो।

v. आगामी उत्पाद वर्ष के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा पुनर्निर्धारित उत्पाद राजस्व के अनुरूप राशि जमा करने के लिए अनुज्ञाधारी अपनी लिखित सहमति भी देगा।

20. **दुकानों की अवस्थिति** - (i) लॉटरी द्वारा बंदोबस्त होने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकानों के स्थान के बदले एक या अनेक दुकानों का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जा सकेगी।

(ii) खुदरा उत्पाद दुकानों की अवस्थिति से संबंधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) में वर्णित नियम के अतिरिक्त समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 - "State of Tamilnadu Vrs. K. Balu & ANR" में दिनांक 15.12.2016 एवं उक्त न्यायादेश में समय-समय पर पारित संशोधन आदेश को दृष्टिपथ रखते हुए जिला के उपायुक्त द्वारा दुकानों का स्थल निर्धारित किया जायेगा।

21. **खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल का अनुमोदन** - (i) लॉटरी में सफल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस दुकान के लिए सात दिनों के अंदर आपत्तिरहित स्थल, प्रस्तावित दुकान परिसर के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। स्थल की स्वीकृति/ अस्वीकृति से संबंधित निर्णय आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा ले लिया जायेगा, अन्यथा स्थल अनुमोदन में हुए विलंब के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए अनुज्ञप्ति पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी।

(ii) स्थल के चयन में विलंब अथवा दुकान खोलने में विलंब के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं जिम्मेवार होगा एवं इससे हुई उत्पाद राजस्व की हानि अनुज्ञाधारी से वसूलनीय होगी।

(iii) न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव एवं संचय करने का पर्याप्त स्थान मुख्य अनुज्ञप्ति परिसर में होना चाहिए। यदि मुख्य अनुज्ञप्ति परिसर में पर्याप्त स्थान नहीं है, तो जिला उपायुक्त/समाहर्त्ता के द्वारा उस दुकान से संलग्न स्थल अथवा सन्निकट स्थल जैसा कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी उचित समझें, पर अतिरिक्त गोदाम खोलने की अनुमति दी जा सकती है। दुकान हेतु स्वीकृत अतिरिक्त स्थल पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा का संचय न हो, न ही अतिरिक्त स्थल से मदिरा की बिक्री की जाय, इसकी पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी। इसीलिए आवेदक अनुज्ञप्ति हेतु दुकान लेते समय न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुसार आवश्यक क्षेत्रफल की दुकान लेना सुनिश्चित करेंगे। किसी एक दुकान के लिए अधिकतम एक गोदाम रहेगा, अर्थात किसी भी गोदाम में दो या दो से अधिक दुकानों का मदिरा स्कन्ध का संचयन नहीं किया जायेगा।

अध्याय - 4

बंदोबस्ती के पूर्व एवं उसके बाद जमा किया जाने वाला उत्पाद राजस्व

22. **बंदोबस्ती हेतु आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), प्रतिभूति राशि (Security Deposit), अग्रिम अनुज्ञाशुल्क एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) का भुगतान** - (i) आवेदक द्वारा बिक्री अधिसूचना में दुकानों की सूची के साथ अधिसूचित, क्षेत्रवार निर्धारित आवेदन शुल्क विभाग को यथाविहित प्रक्रिया के तहत जमा किया जायेगा। यह राशि अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगी। आवेदन शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा।

(ii) दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल उत्पाद राजस्व का 1/50वाँ भाग धरोहर धनराशि के रूप में विहित विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जमा की जायेगी। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) बंदोबस्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत यथाशीघ्र (अधिकतम दो माह के अंदर) वापस कर दी जायेगी। सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जमानत की राशि (Security Deposit) के विरूद्ध समायोजित किया जा सकेगा।

(iii) दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 5% प्रतिभूति राशि के रूप में विहित ऑनलाइन विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में अधिकतम पाँच (5) कार्य दिवसों के अंतर्गत जमा

करना होगा। यह राशि राज्य सरकार के सिविल डिपोजिट हेड 8443 के अंतर्गत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल अग्रिम धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवश्यक प्रतिभूति राशि से अधिक है, तो उसे प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर में सामंजित कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परंतु यदि आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से कम है, तो उन्हें अंतर राशि को जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में भी जमा की जा सकेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में जमा की गई प्रतिभूति राशि आयुक्त उत्पाद के नाम से थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है। इस राशि की वापसी में अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बंदोबस्ती की एक माह के अंदर अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति राशि के एवज में झारखंड राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय बैंक की "बैंक गारंटी" भी समर्पित कर सकता है, जिसकी मान्यता अवधि संपूर्ण बंदोबस्ती की अवधि से छः माह अधिक तक की रहेगी। बैंक गारंटी के सत्यापन के पश्चात, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में जमा की गई NSC विमुक्त कर दी जायेगी। ससमय प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी आवेदक के पक्ष में किये गये बंदोबस्ती को निरस्त कर नियम 16(ii) के तहत कार्रवाई करेंगे एवं द्वितीय एवं तृतीय सफल बंदोबस्त आवेदक को क्रमानुसार आमंत्रित करेंगे।

(iv) दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 7.5% उत्पाद परिवहन कर के मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/विहित ऑनलाइन विधि के द्वारा अधिकतम दस (10) कार्य दिवसों (बंदोबस्ती की तिथि को छोड़कर) के अंतर्गत जमा करना होगा। अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजन अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को आगामी चार वर्षों के लिए अवधि विस्तार दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में प्रत्येक नवीकरण वर्ष में पुनर्निर्धारित दर पर तय की गई उत्पाद परिवहन कर की अंतर राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करते समय जमा कर देना होगा। दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का जमा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

(v) **अनुज्ञप्ति शुल्क** - सफल आवेदक को दुकानों की अवस्थिति के अनुसार अनुसूची - 1 में यथा वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क (सभी कर सहित, यदि कोई हो) का भुगतान आवेदक को करना होगा।

23. **मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान** - (i) प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर, निगम (JSBCL)द्वारा संधारित बैंक खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 25वीं तिथि तक निम्न तालिका के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा -

क्र0	**माह का नाम**	**न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर का प्रतिशत**
1	अप्रैल	9%
2	मई	9%
3	जून	9%
4	जुलाई	6%
5	अगस्त	6%
6	सितम्बर	7%
7	अक्टूबर	9%
8	नवम्बर	9%
9	दिसम्बर	9%
10	जनवरी	9%
11	फरवरी	9%
12	मार्च	9%
	कुल	**100%**

25वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रतिदिन 1.0% (एक प्रतिशत) की दर से विलंब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी।

यदि माह के 25वीं तिथि को बैंक अवकाश हो, तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद परिवहन कर जमा किया जा सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क की राशि देय नहीं होगी। सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से जमा किया जायेगा, परंतु यदि दुकान की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के लिए उत्पाद परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा आगामी माह से प्रत्येक माह के लिए निर्धारित उत्पाद परिवहन कर के अनुरूप जमा किया जायेगा।

अनुज्ञाधारी द्वारा उत्पाद परिवहन कर की देयता निगम (JSBCL) द्वारा दुकान के User ID एवं Password निर्गत करने की तिथि से होगी। जिला उत्पाद पदाधिकारी (सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद) इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से दो दिन के अंदर दुकान हेतु User ID एवं Password निर्गत करने के लिए निगम (JSBCL) के IT शाखा को Email कर दिया जाय। निगम (JSBCL) की IT शाखा के द्वारा Email प्राप्ति के दो दिन के अंदर दुकान का User ID एवं Password निर्गत कर दिया जायेगा, अन्यथा विलंब होने की स्थिति में राजस्व क्षति की जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। Email करने में विलंब के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए जिला उत्पाद पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

अनुज्ञाधारी का उत्पाद परिवहन कर का बकाया एवं विलंब शुल्क की राशि का योग अनुज्ञाधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (Security Deposit) एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से अधिक होने पर जिला के उपायुक्त द्वारा अनुज्ञाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

अनुज्ञाधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला उपायुक्त, राजस्वहित में उचित समय में निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई यथा अनुज्ञप्ति निलंबन/विखंडन, सुनिश्चित करेंगे एवं सरकारी पावनाओं की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ii) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरांत निगम (JSBCL) के द्वारा इसे अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। थोक विक्रेता के द्वारा मदिरा आपूर्तिकर्त्ता कम्पनियों को मदिरा का थोक विक्रेता में लैंडिंग मूल्य का भुगतान भी प्रत्येक सोमवार अथवा उसके अगले कार्य दिवस को कर दिया जायेगा।

24. **वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का मासिक बँटवारा एवं तदनुरूप मदिरा का उठाव -**

(i) दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का बँटवारा निम्नवत किया जायेगा -

क्र0	**माह का नाम**	**न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व का प्रतिशत**
1	अप्रैल	9%
2	मई	9%
3	जून	9%
4	जुलाई	6%
5	अगस्त	6%
6	सितम्बर	7%
7	अक्टूबर	9%
8	नवम्बर	9%
9	दिसम्बर	9%
10	जनवरी	9%
11	फरवरी	9%
12	मार्च	9%
	कुल	**100%**

(ii) प्रत्येक माह में निर्धारित मात्रा के समतुल्य मदिरा का उठाव अनुज्ञाधारी को करना अनिवार्य होगा। यदि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के बाद किसी माह के बीच में अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती हो, तो अनुज्ञप्ति मिलने की तिथि से समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के समतुल्य मदिरा का उठाव अनिवार्य होगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु वह मदिरा के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों/कर के भुगतान के पश्चात माह की 25वीं तारीख तक Indent, थोक बिक्री अनुज्ञाधारी को परमिट के साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का निर्गमन दिया जा सके। यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तिधारी किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो वह लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठायी गई मात्रा को अगले माह के 10वीं तारीख तक अवश्य उठाव कर लेगा। यदि अनुज्ञाधारी अगले माह की 10वीं तारीख तक ऐसा नहीं करता है, तो उसे उस न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी), जिसका उठाव नहीं किया गया है,

के समतुल्य राशि कोषागार में जमा कर देना होगा। यदि अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह का बचा हुआ न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर के समतुल्य मदिरा का उठाव अगले माह के 10वीं तिथि तक नहीं किया जाता है, तो शेष बची हुई न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर की राशि अनुज्ञाधारी के वॉलेट से अगले कार्य दिवस में आहरित कर ली जायेगी। अनुज्ञाधारी के वॉलेट में राशि नहीं रहने पर शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) पर प्रतिदिन 1.0% (एक प्रतिशत) की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।

माह मार्च के न्यूनतम प्रत्याभूत कर के समतुल्य मदिरा का उठाव नहीं कर पाने की स्थिति में, इसके उठाव के लिए माह अप्रैल में अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) जिला उत्पाद पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुज्ञाधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से अधिक उत्पाद राजस्व की हानि न हो पाये। ऐसा होने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुज्ञप्ति को विखंडित कर पुनर्बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

(v) यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी, दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) (Minimum Guaranteed Duty) की राशि के समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर (Excise Transporation Duty) अग्रिम रूप में जमा करना होगा। अनुज्ञाधारी के वॉलेट (अनुज्ञप्ति हेतु सृजित लेन-देन से संबंधित खाता) में से समानुपातिक अतिरिक्त उत्पाद परिवहन कर की कटौती निगम (JSBCL) के द्वारा प्रत्येक माह के 30 तारीख को कर ली जायेगी एवं इसे अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

(vi) पूर्व के माह में न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) से ज्यादा किये गये उठाव का सांमजन अगले माह/माहों के न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के उठाव में नहीं किया जा सकेगा।

<u>अध्याय - 5</u>

उत्पाद वस्तुओं (भारत निर्मित विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन, *Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB)* यथा ब्रीजर, देशी मदिरा, मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा) पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद राजस्व

25. **उत्पाद वस्तुओं पर अधिरोपित किया जाने वाला राजस्व** - भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB), आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), देशी मदिरा एवं मसालेदार/ Flavoured देशी मदिरा पर निम्न तालिका के अनुसार उत्पाद राजस्व (इस नियमावली के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की तिथि से) अधिरोपित किये जायेंगे :-

(i) **भारत निर्मित विदेशी मदिरा** :-

क्र.	**मदिरा का प्रकार**	**EDP प्रति केस (Duty Slab) (रू0 में)**	**उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर @10% एवं उत्पाद परिवहन कर @90% का योग)**
1	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, वाइन (लिकर, शैम्पेन), जिन/LAB इत्यादि)	0-700	रू0 400/ प्रूफ लीटर
2	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, वाइन (लिकर, शैम्पेन), जिन/LAB इत्यादि)	701 से 1000 तक	रू0 890/प्रूफ लीटर
3	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, वाइन (लिकर, शैम्पेन), जिन/LAB इत्यादि)	1001 से 1550 तक	रू0 990/प्रूफ लीटर
4	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, वाइन (लिकर, शैम्पेन), जिन/LAB इत्यादि)	1550 से अधिक एवं 3000 तक	रू0 1270/प्रूफ लीटर
5	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, वाइन (लिकर, शैम्पेन), जिन/LAB इत्यादि)	3000 से अधिक एवं 5000 तक	रू0 1475/प्रूफ लीटर
6	25^0UP की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विहस्की, रम, ब्राण्डी, वोडका, वाइन (लिकर, शैम्पेन), जिन/LAB इत्यादि)	5000 से अधिक	रू0 2050/प्रूफ लीटर

नोट- LAB = Low Strength Alcohlic Beverages

(ii) **सभी प्रकार के बीयर (आयातित सहित)** के लिए उत्पाद कर बल्क लीटर के आधार से निम्ननुसार प्रस्तावित है :-

क्र.	**मदिरा का प्रकार**	**उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर @10% एवं उत्पाद परिवहन कर @90% का योग)**
1	शून्य से 5% v/v तक शक्ति की बीयर	रू0 135/बल्क लीटर
2	5% v/v से अधिक एवं 8% v/v तक की शक्ति की बीयर	रू0 175/बल्क लीटर
3	8% v/v से अधिक शक्ति की बीयर	रू0 200/बल्क लीटर

माइक्रो ब्रीवरी (उत्पाद प्रपत्र 18A) द्वारा उत्पादित बीयर पर अधिरोपित किये जाने वाले उत्पाद राजस्व की दर रू0 175/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित होगी। साथ ही भारत में उत्पादित सभी प्रकार के बीयर, उत्पादन अवधि से 9 माह तक के लिए ही मानव उपभोग योग्य माने जायेंगे, यद्यपि भारत में आयातित विदेश निर्मित बीयर (मूल में बोतलबंद) इस प्रावधान से अवमुक्त होंगे।

(iii) देशी मदिरा/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा के ऊपर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर की संरचना -

क्र.	**मदिरा का प्रकार**	**उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर @10% एवं उत्पाद परिवहन कर @90% का योग)**
1	देशी मदिरा	रू0 135/ प्रूफ लीटर

(iv) आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के ऊपर अधिरोपित की जाने वाली उत्पाद कर की संरचना -

क्र.	**EDP प्रति केस (Duty Slab) (रू0 में)**	**उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर @10% एवं उत्पाद परिवहन कर @90% का योग)**
1	0-10000	रू0 1250/ प्रूफ लीटर
2	10001-15000 तक	रू0 1300/प्रूफ लीटर
3	15001-20000 तक	रू0 1350/प्रूफ लीटर
4	20001-25000 तक	रू0 1400/प्रूफ लीटर
5	25000 से अधिक	रू0 1450/प्रूफ लीटर

(v) "उत्पाद राजस्व" को "उत्पाद कर" एवं "उत्पाद परिवहन कर" के रूप में विभक्त करते हुए, "उत्पाद कर" को 10% एवं "उत्पाद परिवहन कर" को 90% के अनुपात में उद्ग्रहित किया जायेगा, जिसके अनुसार "उत्पाद कर" का भुगतान मदिरा आपूर्तिकर्त्ता/विनिर्माता कम्पनी के द्वारा तथा "उत्पाद परिवहन कर" का भुगतान खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी के द्वारा किया जायेगा।

(vi) मदिरा आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा उपरोक्त शक्ति एवं मात्रा का भारत निर्मित विदेशी मदिरा, को r-PET और Tetra pack/Aseptic Pack में भी आपूर्त्त कर सकते हैं। इससे संबंधित लेबल निबंधन/नवीकरण एवं मद्य दर निर्धारण नियमावली, 2014 में वर्णित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

अध्याय - 6

दुकानों से संबंधित सामान्य निर्देश

26. **खुदरा उत्पाद दुकानों का स्थानांतरण** - खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल स्थानांतरण की अनुमति जिला के उपायुक्त के द्वारा इस शर्त्त पर दी जा सकती है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित स्थल झारखंड उत्पाद अधिनियम में वर्णित नियमों एवं एतद संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय, सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 - "State of Tamilnadu Vrs. K. Balu & ANR" में दिनांक 15.12.2016 के अनुकूल हो। किसी भी

परिस्थिति में दुकान का स्थानांतरण बिक्री अधिसूचना में घोषित दुकान की अवस्थिति क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नहीं की जायेगी।

27. **खुदरा उत्पाद दुकानों के कार्य करने की अवधि** - खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। राजस्वहित में उक्त समयावधि में आयुक्त उत्पाद परिवर्त्तन कर सकेंगे।

28. **खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद करना** - (i) खुदरा उत्पाद दुकानें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझें, तो आत्मभारित आदेश पारित कर खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदी किसी क्षेत्र विशेष अथवा संपूर्ण जिले में करा सकेंगे। इसके लिए अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगी, न ही न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व की राशि में किसी प्रकार का सामंजन किया जायेगा।

(ii) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद नहीं कराया जायेगा।

(iii) अपरिहार्य/आवश्यक कारणों से एक सप्ताह से अधिक के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों के बंद कराये जाने की स्थिति में जिला उपायुक्त प्रशासी विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे।

(iv) अपरिहार्य कारणों से मदिरा की आपूर्त्ति में विलंब, किसी अन्य विधि व्यवस्था अथवा दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक आंदोलनों आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार क्षतिपूर्त्ति सरकार द्वारा देय नहीं होगी।

29. **खुदरा उत्पाद दुकानों से कुछ व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित किया जाना** - (i) वैसे सभी व्यक्ति, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम की है, उसे मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा का क्रय करने वाला व्यक्ति पूर्व से ही अधिक मदिरापान किये हुए हैं, तो उसे भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। यदि मदिरा विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा क्रेता की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो विक्रेता ऐसे क्रेता से उम्र के सत्यापन संबंधी वैध दस्तावेज यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि की मांग कर सकेगा।

(ii) ड्यूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

30. **अग्रिम प्रतिभूति राशि का वापस किया जाना** - इस नियमावली में प्रावधानित नियम 22 (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति राशि बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद वापस कर दी जायेगी बशर्ते बंदोबस्त दुकान से संबंधित सभी बकायों और दावों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किया जा चुका हो। ऐसा नहीं करने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि में से देय राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि को अनुज्ञप्ति समाप्ति अवधि के अधिकतम छः माह के अंदर वापस कर दिया जायेगा।

31. **मदिरा की थोक बिक्री मूल्य एवं खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया** - राज्य सरकार/सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूला (अनुसूची- 2) एवं झारखंड उत्पाद (लेबल, निबंधन एवं मद्य दर निर्धारण) नियमावली, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत आयुक्त उत्पाद के द्वारा मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

32. **खुदरा उत्पाद दुकानों में स्टॉक रजिस्टर का संधारण** - विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में अनुज्ञाधारी प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा।

33. **विभाग द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र की स्थापना** - संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत संचयकर्त्ता थोक अनुज्ञाधारियों, खुदरा

अनुज्ञाधारियों, विनिर्माता प्रतिष्ठानों एवं आपूर्तिकर्त्ता के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर JSBCL, थोक अनुज्ञाधारी, खुदरा अनुज्ञाधारी, संचयकर्त्ता, आपूर्तिकर्त्ता एवं विनिर्माता प्रतिष्ठानों के अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine, Deep Freezer, IP Based Electronic Boom Barrier, GPS Based Vechicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक होगा तथा मुख्यालय में केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र से लिंक स्थापित करना अनिवार्य होगा एवं इसे 24 घंटे चालू अवस्था में रखेगा। इस कार्य को विभाग के निर्देशन में संचालित करने के लिए JSBCL द्वारा तकनीकी सहायता एजेन्सी की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्देश नहीं मानने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

34. **थोक अनुज्ञाधारी एवं खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश** - (i) भारत निर्मित विदेशी मदिरा यथा विस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, बीयर, वाईन, Low Strength Carbonated Alcohlic Beverage (LAB) यथा ब्रीजर इत्यादि के लिए थोक विक्रेता का लाभांश अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 4.5% (चार दशमलव पाँच प्रतिशत) तथा देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए थोक अनुज्ञाधारी का लाभांश थोक अनुज्ञप्ति परिसर में लैंडिंग मूल्य का 3.0% (तीन प्रतिशत) निर्धारित किया जाता है। तदनुसार झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022 में वर्णित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

JSBCL उक्त लाभांश का उपयोग विभागीय आधारभूत संरचना यथा केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र का स्थापना, चेकपोस्ट, वाहन क्रय कार्यालय निर्माण, तकनीकी सहायता एजेन्सी का कार्यालय व्यय, Digital Lock, GPS] IT आधारभूत संरचना, उत्पाद मुख्यालय नियंत्रण कक्ष एवं उत्पाद आसूचना संग्रहण इत्यादि को मजबूत करने में खर्च कर सकता है।

(ii) खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन इत्यादि के लिए थोक अनुज्ञाधारी के थोक बिक्री मूल्य (उत्पाद परिवहन कर सहित) का 12% (बारह प्रतिशत) निर्धारित किया जाता है।

(iii) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात खुदरा एवं थोक अनुज्ञप्तिधारी के लाभांश में परिवर्तन किया जा सकेगा।

35. **खुदरा उत्पाद दुकानों पर लगाये जाने वाले डिस्प्ले बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया** - प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों (देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ, मदिरा की कम्पोजिट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फीट का एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर दुकान का प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या, विक्रेता का नाम तथा इसके निचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में "मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है", "शराब पीकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है", "21 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ताओं के लिए मदिरा का सेवन प्रतिबंधित है", "टोल फ्री नम्बर", इत्यादि लिखा जायेगा। इससे संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत परिपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसका सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक दुकानदार को आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्देशित विधि से खुदरा उत्पाद दुकानों में मौजूद ब्राण्डों के स्टॉक की विवरणी तथा मदिरा की खुदरा बिक्री मूल्य संबंधी तालिका भी दृष्टिसुलभ स्थल पर प्रदर्शित करना बाध्यकारी होगा।

36. **राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका** - खुदरा उत्पाद दुकानों से राज्य सरकार को उत्पाद राजस्व की प्राप्ति होती है एवं मदिरा के किसी भी प्रकार के चौर्य व्यापार एवं अवैध मदिरा के सेवन से लोक स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है एवं राजस्व की क्षति होती है। अतः मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु सभी राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी है कि वे प्रवर्तन एवं अन्य निरीक्षण कार्यों में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

37. **खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा-** (i) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) - 4.5 लीटर (बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

b) देशी मदिरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा - 4.8 लीटर

नोट - बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

(ii) अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति लेनेवाले व्यक्ति जिला के खुदरा उत्पाद दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय कर सकेंगे।

38. **खुदरा उत्पाद दुकानों में बिकने वाली मदिरा की मात्रा एवं शक्ति** - खुदरा उत्पाद दुकानों से बिकने वाली प्रति Packaged इकाई की मात्रा एवं अल्कोहलिक शक्ति वही होगी, जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा समय-समय पर प्रावधानित किया जाय।

39. **अनुज्ञप्ति की अवधि में मदिरा की बिक्री एवं अनुज्ञप्ति अवधि के बाद शेष बची मदिरा का निष्पादन** - अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती की अवधि के लिए मदिरा की संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व कर लेगा एवं इसकी बिक्री भी सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति पर शेष बची मात्रा का निष्पादन राजस्व पर्षद के अनुदेशों की कंडिका 117 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

40. **मदिरा के मानव उपभोग योग्य नहीं रहने पर मदिरा के निष्पादन की प्रक्रिया** :-

(i) किसी भी प्रकार की मदिरा के लिये उत्पाद विभाग के रसायन विश्लेषक से यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि यह अब मानव उपभोग योग्य नहीं है तो मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता/खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के समक्ष इसके विनष्टीकरण के लिये आवेदन किया जाएगा। इस प्रकार की मदिरा के विनष्टीकरण के लिए सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद आदेश करेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि एवं मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता/खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के समक्ष मदिरा का विनष्टीकरण करेंगे। एतद् संबंधी नोटिस दिये जाने के बावजूद यदि मदिरा के आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते है, तो उनकी अनुपस्थिति में भी मदिरा का विनष्टीकरण किया जाएगा। विनष्टीकरण के पश्चात् खुदरा उत्पाद दुकानें अपने स्कंध पंजी से ऐसे स्कंध को घटा देंगे। विनष्टीकरण की प्रक्रिया सुस्पष्ट व पारदर्शी रखने के उद्देश्य से आयुक्त उत्पाद के द्वारा एक पृथक SOP (Standard Operative Procedure) प्रतिपादित किया जायेगा।

(ii) Non-saleable/अनिबंधित/अनवीकृत लेबलों के बोतलों की वापसी/विनष्टीकरण आयुक्त उत्पाद के निदेशानुसार की जा सकेगी।

41. **अबंदोबस्त दुकानों का निस्तार** - (i) लॉटरी के माध्यम से यदि किसी जिला में कतिपय खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों का समूह चार प्रयासों के बावजूद अबंदोबस्त रह जाते हैं, तो उत्पाद राजस्व संग्रहण को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के कुल निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अधिकतम 10%, जिला के बंदोबस्त दुकानों में उनके न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के आधार पर समानुपातिक रूप से वितरित किया जा सकेगा तथा बंदोबस्त दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में समानुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी। इस संबंध में बंदोबस्त दुकानों के अनुज्ञाधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में हुई वृद्धि का मानना बाध्यकारी होगा। उदाहरणस्वरूप- यदि किसी जिला का चालू वित्तीय वर्ष का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 100 करोड़ रूपये निर्धारित है। अधिकतम चार प्रयासों के उपरांत भी यदि बंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 87 करोड़ रूपये है, तो 10 करोड़ रूपये (निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 10%) बंदोबस्त दुकानों के राजस्व में उनके न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समानुपातिक रूप से वितरित कर दिये जायेंगे। यदि किसी बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिला के बंदोबस्त न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% है, तो इस बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 50 लाख रूपये की वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार जिला के बंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 97 करोड़ रूपये निर्धारित कर दिया जायेगा। शेष 3 करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व वाले खुदरा दुकान/दुकानों के समूह का राजस्व उद्ग्रहण हेतु आयुक्त उत्पाद के द्वारा नियम 41 के (ii) एवं (iii) के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।

(ii) उपरोक्त नियम 41(i) में वर्णित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी कोई खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों का समूह अबंदोबस्त रह जाती है, राजस्वहित में वैसे अनुज्ञाधारी, जो अबंदोबस्त दुकान/दुकानों के समूह को लेने हेतु इच्छा व्यक्त करते हैं, तो नियमावली के नियम 15 को शिथिल करते हुए उनके पक्ष में बंदोबस्ती की अनुमति आयुक्त उत्पाद के द्वारा दी जा सकेगी।

(iii) शेष अबंदोबस्त दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित दुकानों को कम करने/स्थल परिवर्तन करने/दुकानों को समाप्त करने, निगम (JSBCL) के माध्यम से अबंदोबस्त दुकानों का संचालन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

42. **अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को स्थानांतरण**- अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

43. **मदिरा की बिक्री, खुदरा बिक्री मूल्य पर किया जाना** - अनुज्ञाधारी मदिरा के बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को मदिरा की बिक्री करेगा। उल्लंघन करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञाधारी के विरूद्ध यथाविनिर्दिष्ट कार्रवाई की जायेगी।

44. **खुदरा उत्पाद दुकानों की युनिक (Unique) अनुज्ञप्ति संख्या** - दुकानों की अनुज्ञप्ति संख्या युनिक (Unique) होगी। इसे निम्नवत लिखा जायेगा :-

जिला का नाम (अनुज्ञप्ति संख्या/अनुज्ञप्ति का प्रकार (संक्षिप्त कोड में)/जिला का नाम (अंगेजी वर्णवाला के तीन कूट अक्षरों में)/वित्तीय वर्ष। उदाहरणस्वरूप - राँची जिला की मदिरा की कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या निम्नवत लिखी जायेगी - 001_COM_RNC_25-26

जिला तथा दुकान के प्रकार का कूट नाम (Code Word) निम्नवत होगा -

District Name	Code
Bokaro	BOK
Chatra	CHT
Deoghar	DEO
Dhanbad	DHN
Dumka	DUM
East Singhbhum	EAS
Garhwa	GAR
Giridih	GIR
Godda	GOD
Gumla	GUM
Hazaribagh	HZB
Jamtara	JAM
Khunti	KHU
Koderma	KOD
Latehar	LAT
Lohardaga	LOH
Pakur	PAK
Palamu	PAL
Ramgarh	RAM
Ranchi	RNC
Sahebgunj	SBG
Saraikela	SAR
Simdega	SIM
West Singhbhum	WES

क्र0	दुकान का प्रकार	कूट
1	देशी शराब दुकान	CLX
2	कम्पोजिट शराब दुकान	COM

45. इस खुदरा उत्पाद नीति के लागू होने के पूर्व तक निगम (JSBCL) द्वारा संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों में उपयोग में लायी जा रही आधारभूत संरचनाएं यथा फ्रीज, Track & Trace से संबंधित Hand Scanner, Cash Chest एवं अन्य उपकरण आदि (जो उपयोग योग्य है), को इस नीति के तहत नीलामी (Auction) के द्वारा विक्रय किया जायेगा। उक्त नीलामी जिला उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के द्वारा नियमानुसार की जायेगी। नीलामी हेतु उपरोक्त आधारभूत संरचना के Base Price का निर्धारण नियमानुसार एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद एवं JSBCL के नामित प्रतिनिधि तथा JSBCL के द्वारा प्रतिनियुक्त अंकेक्षक होंगे। उक्त उपकरण इत्यादि के लिए समिति द्वारा निर्धारित Base Price पर प्रबंध निदेशक, JSBCL का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अध्याय - 7
निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ

46. **अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ** - (i) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त कर सकता है -

क) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा की कोई बोतल पायी जाय, जिसपर शुल्क/कर का भुगतान नहीं किया गया हो, और जिसपर आयुक्त उत्पाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में उत्पाद विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चिपकाया नहीं गया हो।

ख) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि के बोतल या पात्र (जिसके लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई है), की बोतल या पात्र पाये जाते हैं।

ग) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के तहत बने नियमों/उपनियमों के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पाया जाता है।

घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है एवं उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

ड़) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञप्ति फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुज्ञापन धारण किये हुए हैं।

च) यदि अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद परिवहन कर एवं अन्य देयताओं की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।

छ) यदि अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद अधिनियम में या किसी संज्ञेय एवं गैरजमानतीय अपराध में या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय न्याय संहिता, 2023/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात एतद संबंधी उपयुक्त आदेश 15 दिनों के अंदर पारित करेगा।

(ii) अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई अग्रिम उत्पाद परिवहन कर एवं प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अगले पाँच वर्षो के लिए काली सूची में भी डाला जायेगा तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाईसेंस धारित करने से वर्जित किया जायेगा।

47. **झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 68 के अंतर्गत खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा की जा रही अनियमितता का प्रशमन (Compounding)** - (i) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 68 के अंतर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के मामलों में प्रशमन शुल्क की राशि में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से निम्नरूपेण प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है :-

क्र0	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रू0 में)	द्वितीय बार (रू0 में)	तृतीय बार (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुए पाया जाना	5000 (पाँच हजार)	7000 (सात हजार)	10000 (दस हजार)
2	स्टॉक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)	20000 (बीस हजार)
3	स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	5000 (पाँच हजार)	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)
4	बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर बिगाड़ करना। अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री का पाया जाना। दुकान में नॉन ड्यूटी पेड स्टॉक पाया जाना।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्रवाई की जायेगी।		
5	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	100000 (एक लाख)	150000 (एक लाख पचास हजार)	200000 (दो लाख)
6	ड्यूटी पेड स्टॉक को अनाधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना।	25000 (पच्चीस हजार)	30000 (तीस हजार)	50000 (पचास हजार)
7	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना। मदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण पाया जाना/उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्रवाई की जायेगी।		
8	मद्य निषेध दिवसों/बंदी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30000 (तीस हजार)	40000 (चालीस हजार)	50000 (पचास हजार)
9	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्रवाई की जायेगी।		
10	निर्धारित खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय।	50000 (पचास हजार)	75000 (पच्हत्तर हजार)	100000 (एक लाख)
11	अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना। अनुज्ञप्ति परिसर में प्रमुख बिकने	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)	20000 (बीस हजार)

	वाले ब्रांडों के खुदरा बिक्री मूल्य (MSP) का डिस्पले बोर्ड नहीं लगाया जाना।			
12	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2000 (दो हजार)	5000 (पाँच हजार)	10000 (दस हजार)
13	दुकानों में पॉपुलर ब्राण्डों का नहीं पाया जाना	100000 (एक लाख)	150000 (एक लाख पचास हजार)	200000 (दो लाख)
14	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01 से 13 तक पर अंकित न हो।	इस संबंध में अनियमितता दर्ज करते हुए जिला उत्पाद पदाधिकारी द्वारा आयुक्त उत्पाद को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।		

(ii) उपरोक्त वर्णित तीन अनियमितताओं के दर्ज किये जाने के उपरांत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जायेगी।

अध्याय - 8

सामान्य

48. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार मदिरा की ऑन प्रकृति की दुकानों पर उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुए पेट/शीशे की बोतलों एवं उनपर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेवारी दुकान के अनुज्ञाधारी/विक्रेता की होगी।

49. खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह के अनुज्ञाधारी अपने दुकानों में मदिरा की बिक्री में कैशलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देंगे।

50. अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग किया जायेगा।

51. इस नियमावली को पूर्णरूपेण प्रवृत्त करने के निमित्त दुकान की बंदोबस्ती की प्रक्रिया (लॉटरी अथवा ई-लॉटरी) वही होगी, जैसा कि आयुक्त उत्पाद निश्चित करें।

52. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-lease नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के साथ बंदोबस्ती की गई सभी अनुज्ञप्तियाँ विखंडित कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध विभाग, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।

53. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। इस नियमावली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा व्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

54. इस नियमावली के तहत प्रदत्त सभी प्रकार के मदिरा की बिक्री के खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915), इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

55. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

56. आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनी खुदरा अनुज्ञाधारियों से सहमति के आधार पर अपनी कम्पनी का डिस्प्ले बोर्ड/ विज्ञापन खुदरा उत्पाद दुकान के अंदर लगा सकेंगे, परंतु दुकान के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर वैसे सभी विज्ञापन/प्रदर्शन पूर्णतः निषिद्ध होंगे, जो मदिरा के सेवन को प्रोत्साहित करते हों अथवा इसके सूचक हों। अनुज्ञप्ति परिसर से बाहर मदिरा के प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन करने वाले सभी अनुज्ञाधारियों/मदिरा आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध विभाग यथोचित दाण्डिक कार्रवाई कर सकेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा।

57. **निरसन** - (i) सभी प्रकार के मदिरा की खुदरा बिक्री के दुकान से संबंधित, सभी पूर्व निर्गत नियमावली, इस नियमावली के तहत दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से (जिसे आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा) निरसित हो जायेंगी और सभी खुदरा मदिरा दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई इस नियमावली अथवा इस नियमावली के अधीन निर्गत सभी आदेश/अनुदेश के अधीन की जायेगी।

(ii) इस नियमावली के पूर्ण रूप से प्रवृत्त करने के निमित्त आयुक्त उत्पाद, जिसे वे उचित समझे निदेश/ आदेश/प्रपत्र/विहित फार्म जारी कर सकेंगे, परंतु ऐसा कोई निदेश/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा, जो इस नियमावली के विपरीत हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।

अनुसूची - 1

1. **ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान तथा मॉल में कम्पोजिट मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा** -

क्र.	**अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम**	**देय आवेदन शुल्क (*Non Refundable*) (अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय)**
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 25000/- (पच्चीस हजार) प्रति आवेदन
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Contonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 20000/- (बीस हजार) प्रति आवेदन
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 15000/- (पन्द्रह हजार) प्रति आवेदन
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 10000/- (दस हजार) प्रति आवेदन

2. **देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा** -

क्र.	**अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम**	**देय आवेदन शुल्क (*Non Refundable*) (अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय)**
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 12000/- (बारह हजार) प्रति आवेदन
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Contonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 10000/- (दस हजार) प्रति आवेदन
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 7000/- (सात हजार) प्रति आवेदन
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 5000/- (पाँच हजार) प्रति आवेदन

3. **ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -**

क्र.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 200000/- (दो लाख)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Contonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 150000/- (एक लाख पचास हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 100000/- (एक लाख)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 50000/- (पचास हजार)

4. **देशी मदिरा की ऑफ एवं ऑन दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -**

क्र.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 100000/- (एक लाख)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Contonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 80000/- (अस्सी हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	रू0 50000/- (पचास हजार)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	रू0 30000/- (तीस हजार)

5. **धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) -**

क्र0	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि	अभ्युक्ति
1	धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit)	दुकान से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) का 2%	असफल आवेदकों की राशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की राशि, जमानत की राशि (Security Deposit) के विरूद्ध सामंजित कर दी जायेगी।

6. **जमानत की राशि (Security Deposit)** -

क्र0	**शुल्क का प्रकार**	**दुकान के लिए निर्धारित कुल उत्पाद राजस्व का प्रतिशत**
1	जमानत की राशि (Security Deposit)	5%

7. **उत्पाद कर (Excise Duty)** - झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 27 एवं 28 के तहत विभिन्न प्रकार के मदिराओं के उपर अधिरोपित किया जाने वाला राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर -

i. **न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर** का अर्थ खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) का 10% है।

ii. **उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty)** - दुकानों से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) का 90% ।

8. **दुकान की बंदोबस्ती के समय अग्रिम रूप से जमा किया जाने वाला उत्पाद परिवहन कर** - दुकान से प्राप्त होने वाला कुल उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर) का 7.5%

9. आवेदन शुल्क के अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य सरकार के सभी प्रकार के करों की देयता (वर्तमान में जो लागू हो) आवेदक की होगी।

नोट :- उपरोक्त अनुसूची में वर्णित उत्पाद परिवहन कर एवं उत्पाद कर की दर व अनुपात में समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

अनुसूची- 2

खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया

चरण - 1

आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी के द्वारा अपने ब्राण्ड के खुदरा बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु ब्राण्ड के धारितावार EDP/EWP/EBP समर्पित किया जायेगा।

चरण - 2

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025"की नियम 25 के आलोक में उत्पाद राजस्व निर्धारित किया जायेगा, जिसे दो भाग 10% एवं 90% क्रमशः उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर के रूप में विभक्त किया जायेगा।

चरण - 3

समर्पित EDP/EWP/EBP में उत्पाद कर को जोड़ा जायेगा एवं योगफल में विदेशी मदिरा पर 5% एवं देशी मदिरा पर 1% वैट अधिरोपित कर योग संगणित किया जायेगा।

चरण - 4

चरण- 3 के संगणित योग पर थोक बिक्री लाभांश विदेशी मदिरा पर 4.5% एवं देशी मदिरा पर 3% निर्धारित किया जायेगा।

चरण - 5

चरण- 2 में निर्धारित उत्पाद परिवहन कर (उत्पाद राजस्व का 90%) में चरण-3 एवं 4 में संगणित मान को जोड़कर एक समेकित योगफल संगणित किया जायेगा। यही संगणित योगफल खुदरा विक्रेता द्वारा अधिरोपित निवेश राशि (Cost to Retailer) का मान होगा।

चरण - 6

चरण- 5 में निर्धारित मान का 12% खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के लिए लाभांश निर्धारित किया जायेगा।

चरण - 7

चरण- 2 में निर्धारित उत्पाद परिवहन कर (उत्पाद राजस्व का 90%) तथा चरण-4 में संगणित थोक विक्रेता का लाभांश को चरण-6 (खुदरा विक्रेता का लाभांश) में जोड़कर एक योगफल निर्धारित किया जायेगा। इसी योगफल पर 5% VAT पुनः अधिरोपित किया जायेगा।

चरण - 8

चरण-5 (Cost to Retailer), चरण-6 (खुदरा विक्रेता का लाभांश) एवं चरण-7 (थोक विक्रेता द्वारा भुगतेय VAT) का योगफल ही प्रति पेटी खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित होगा।

चरण - 9

चरण-8 में निर्धारित प्रति पेटी खुदरा बिक्री मूल्य को प्रति पेटी बोतल की संख्या से विभाजित किया जायेगा। संगणित भागफल को "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की नियम 2 (xxxi) के आलोक में निकटतम गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा। पूर्णांकित मान ही प्रति बोतल खुदरा बिक्री मूल्य के रूप में निर्धारित होंगे। नियम 2 (xxxi) के अनुसार "अतिरिक्त उत्पाद कर" का भुगतान खुदरा अनुज्ञाधारियों को JSBCL गोदाम से मदिरा उठाव के पूर्व जमा करना पड़ेगा।

चरण - 10

चरण-9 में संगणित अतिरिक्त उत्पाद कर में 5% VAT अन्तर्निहित (Inclusive of VAT) है, जिसका भुगतान JSBCL के द्वारा नियमानुसार यथासमय जमा कर दिया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप-

(1) यदि किसी विदेशी मदिरा के ब्राण्ड का प्रति पेटी EDP/EWP/EBP, 'a' है एवं नियमानुसार उसपर अधिरोपित होने वाला उत्पाद राजस्व 'b' है, तो उस ब्राण्ड के MSP की गणना निम्नरूपेण होगी -

i. उत्पाद कर = 0.1b एवं
उत्पाद परिवहन कर = 0.9b

ii. VAT = (a + 0.1b) का 5%

iii. JSBCL के गोदाम में Landing Price 'c' = (a + 0.1b) + VAT

iv. थोक विक्रेता का लाभांश = 'c' का 4.5% = 0.045c

v. खुदरा विक्रेता का अधिरोपित निवेश राशि (Cost to Retailer) 'd'= c + 0.045c + 0.9b

vi. खुदरा विक्रेता का लाभांश 'e' = d x 12%

vii. थोक विक्रेता द्वारा भुगतेय VAT 'f' = (0.9b + 0.045c + e) का 5%

viii. प्रति बोतल खुदरा मूल्य 'g' = (d + e + f)/ प्रति पेटी बोतलों की संख्या

ix. प्रति बोतल खुदरा बिक्री मूल्य (MSP) = नियम 2(xxxi) के अनुसार g का अगला पूर्णांकित मान

x. प्रति पेटी अतिरिक्त खुदरा बिक्री मूल्य (AED) = {(MSP) - g} x प्रति पेटी बोतलों की संख्या

नोट :-

i. देशी मदिरा के लिए VAT का मान 1% एवं थोक विक्रेता का लाभांश 3% मानकर खुदरा बिक्री मूल्य संगणित किया जायेगा।

ii. उपरोक्त क्रम (x) में संगणित प्रति पेटी अतिरिक्त खुदरा बिक्री मूल्य में 5% VAT अन्तर्निहित (Inclusive of VAT) है।

<u>अनुज्ञप्ति प्रपत्र</u>

<u>मदिरा की ऑन एवं ऑफ कम्पोजिट दुकान</u>

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत मदिरा की ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दें) कम्पोजिट दुकान की Provisional/Final अनुज्ञप्ति (Counter Foil)

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का फोटो

1. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....
2. दुकान का नाम -.. जिला - ....
3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -..
4. संबंधित साझेदारी फर्म/कम्पनी/HUF का नाम, यदि हो तो - ....
5. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम - ....
6. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....
7. बंदोबस्ती की ब्लॉक अवधि - ....
8. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....
9. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
10. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)
11. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

12. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)

13. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)

14. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

15. दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र - ....

16. दुकान का अक्षांश - .... देशांतर - ....

17. भूगृहादि का विवरण (दुकान की चौहद्दी) - ....

उत्तर - .... दक्षिण - ....

पूरब - .... पश्चिम- ....

18. प्रस्तावित स्थल का हस्तनिर्मित नक्शा

19. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत मदिरा की ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दें) कम्पोजिट दुकान की Provisional/Final अनुज्ञप्ति

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का फोटो

1. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....
2. दुकान का नाम -.. जिला - ....
3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -..
4. संबंधित साझेदारी फर्म/कम्पनी/HUF का नाम, यदि हो तो - ....
5. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम - ....
6. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....
7. बंदोबस्ती की ब्लॉक अवधि - ....
8. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....
9. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)
10. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)
11. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
12. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)

13. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

14. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

15. दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र - ....

16. दुकान का अक्षांश - .... देशांतर - ....

17. भूगृहादि का विवरण (दुकान की चौहद्दी) - ....

उत्तर - .... दक्षिण - ....

पूरब - .... पश्चिम- ....

18. प्रस्तावित स्थल का हस्तनिर्मित नक्शा

19. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

विदित हो कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार श्री ...., कम्पनी/ साझेदारी फर्म/HUF ...., (यदि हो तो) को .... जिला के समाहर्त्ता/ उपायुक्त के द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि के लिए "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" एवं सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तो के तहत मदिरा की "ऑफ" कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II 1915) की धारा 20 के अनुसार प्रदान की जाती है।

<u>अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्त्ते</u>

1. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" एवं सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्त्ते अनुज्ञप्ति की शर्त्ते मानी जायेंगी एवं अनुज्ञाधारी को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।

2. अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 19 के अनुरूप की जायेगी।

3. दुकानों की अवस्थिति एवं स्थल के संबंध में निर्णय ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 20 एवं 21 के अनुसार लिया जायेगा।

4. अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक उत्पाद परिवहन कर की किस्त का भुगतान ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 23 के अनुरूप किया जायेगा तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के अनुरूप मदिरा का उठाव इस नियमावली के नियम 24 के अनुरूप किया जायेगा।

5. इस अनुज्ञप्ति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्वाहन 10:00 से रात्रि के 11:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।

6. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 28 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी।

7. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 29 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों तथा पूर्व से मदिरापान किये हुए व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञाधारी के द्वारा ड्यूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

8. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 32 के तहत अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। इस निमयावली के नियम 33 के अनुरूप आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology] IP based CCTV] Electronic Billing Machine, Deep Freezer से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा।

9. ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 35 के तहत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों (देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ, मदिरा की कम्पोजिट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फीट का एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर दुकान का प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या, विक्रेता का नाम तथा इसके नीचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में ''मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है", ''शराब पीकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है", ''21 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ताओं के लिए मदिरा का सेवन प्रतिबंधित है", ''टोल फ्री नम्बर", इत्यादि लिखा जायेगा। इससे संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत परिपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसका सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 37 के तहत -

(i) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) - 4.5 लीटर

(बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

b) देशी मदिरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा - 4.8 लीटर

नोट - बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

(ii) अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति लेने वाले व्यक्ति को संबंधित जिला के खुदरा उत्पाद दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय किया जा सकेगा।

11. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 42 के अनुसार अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

12. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 43 के अनुसार अनुज्ञाधारी मदिरा के बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को मदिरा की बिक्री करेगा। उल्लंघन करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञाधारी के विरूद्ध यथाविनिर्दिष्ट कार्रवाई की जायेगी।

13. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 46 के तहत अनुज्ञप्तियों के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्तियों की कार्रवाई की जायेगी तथा नियम 47 के अनुसार अनियमितताओं के प्रशमन का कार्य किया जा सकेगा।

14. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 48 के अनुसार ऑनलाइन अनुज्ञप्ति होने की दशा में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुए पेट/शीशे की बोतलों एवं उनपर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेवारी दुकान के अनुज्ञाधारी/विक्रेता की होगी।

15. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 52 के अनुसार खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-lease नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के साथ बंदोबस्ती की गई सभी अनुज्ञप्तियाँ विखंडित कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध विभाग, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों एवं आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

17. अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा का JSBCL का विक्रय मूल्य, ई-पेमेंट के द्वारा जमा करने के पश्चात शराब का उठाव JSBCL के थोक अनुज्ञप्ति गोदाम से करेगा।

18. दुकानों के निरीक्षण, स्कन्ध का भौतिक सत्यापन एवं कागजातों की जाँच के दौरान अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

19. खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्त्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

20. शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है, अनुज्ञाधारी को अनुज्ञप्ति परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21 ऑन दुकान लाइसेंसधारी होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर मूल्य भुगतान के एवज में उपलब्ध करायेगा।

22. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा समयक रूप से निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जिसे निरीक्षणकर्त्ता प्राधिकारियों के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

23. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

24. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखेगा।

25. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।

26. ऑन परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार कूड़ेदारों में तत्काल हटाकर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घंटों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।

27. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।

28. लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित नियम 117 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

29. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति परिसर में स्वचालित अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र निश्चित रूप से लगायेगा।

30. सभी अनुज्ञप्तिधारी झारखंड राज्य में मदिरा के पॉपुलर ब्रांड को दुकान में अवश्य रखेंगे एवं मांगे जाने पर देंगे।

31. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष सिंडिकेट का सदस्य नहीं होगा।

32. सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विक्रेताओं को न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

दिनांक ....

जिला ....

लाइसेंस प्राधिकारी
समाहर्त्ता/उपायुक्त

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा प्राधिकृत एजेन्टों और विक्रेताओं की सूची

विक्रेता नं0 1 विक्रेता नं0 2 विक्रेता नं0 3 विक्रेता नं0 4

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*

विक्रेता का नाम	**पिता का नाम**	**बैंक खाता संख्या**	**उम्र**	**स्थायी पता**	**प्राधिकृत एजेन्ट/ विक्रेता का हस्ताक्षर**	**लाइसेंसधारी का हस्ताक्षर**

विक्रेताओं से संबंधित बैंक खाता संख्या का पूर्ण विवरण, मासिक भुगतान की राशि का विवरण प्रत्येक माह संबंधित जिला में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद

अनुज्ञप्ति प्रपत्र

देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत देशी शराब की ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दें) की Provisional/Final अनुज्ञप्ति (Counter Foil)

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का फोटो

1. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....
2. दुकान का नाम -... जिला - ....
3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -...
4. संबंधित साझेदारी फर्म/कम्पनी/HUF का नाम, यदि हो तो - ....
5. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम - ....
6. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....
7. बंदोबस्ती की ब्लॉक अवधि - ....
8. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....
9. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)
10. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)
11. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

12. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)

13. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

14. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

15. दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र - ....

16. दुकान का अक्षांश - .... देशांतर - ....

17. भूगृहादि का विवरण (दुकान की चौहद्दी) - ....

उत्तर - .... दक्षिण - ....

पूरब - .... पश्चिम - ....

18. प्रस्तावित स्थल का हस्तनिर्मित नक्शा

19. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

<u>"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत देशी शराब की ऑन एवं ऑफ (जो लागू न हो, उसे काट दें) की Provisional/Final अनुज्ञप्ति</u>

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का फोटो

1. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....

2. दुकान का नाम -... जिला - ....

3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -..

4. संबंधित साझेदारी फर्म/कम्पनी/HUF का नाम, यदि हो तो - ....

5. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम - ....

6. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....

7. बंदोबस्ती की ब्लॉक अवधि - ....

8. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....

9. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

10. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)

11. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

12. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)

13. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

14. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

15. दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र - ....

16. दुकान का अक्षांश - .... देशांतर - ....

17. भूगृहादि का विवरण (दुकान की चौहद्दी) - ....

उत्तर - .... दक्षिण - ....

पूरब - .... पश्चिम- ....

18. प्रस्तावित स्थल का हस्तनिर्मित नक्शा

19. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

वित्तीय वर्ष ....

विदित हो कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार श्री ...., कम्पनी/ साझेदारी फर्म/HUF ...., (यदि हो तो) को .... जिला के समाहर्त्ता/ उपायुक्त के द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि के लिए "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" एवं सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तो के देशी शराब की "ऑफ" दुकान की अनुज्ञप्ति झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II 1915) की धारा 20 के अनुसार प्रदान की जाती है।

<u>अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें</u>

1. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" एवं सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्तें अनुज्ञप्ति की शर्तें मानी जायेंगी एवं अनुज्ञाधारी को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।

2. अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 19 के अनुरूप की जायेगी।

3. दुकानों की अवस्थिति एवं स्थल के संबंध में निर्णय ‘‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025’’ के नियम 20 एवं 21 के अनुसार लिया जायेगा।

4. अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक उत्पाद परिवहन कर की किस्त का भुगतान ‘‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025’’ के नियम 23 के अनुरूप किया जायेगा तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के अनुरूप मदिरा का उठाव इस नियमावली के नियम 24 के अनुरूप किया जायेगा।

5. इस अनुज्ञप्ति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्वाहन 10:00 से रात्रि के 11:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।

6. ‘‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025’’ के नियम 28 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी।

7. ‘‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025’’ के नियम 29 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों तथा पूर्व से मदिरापान किये हुए व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञाधारी के द्वारा ड्यूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

8. ‘‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025’’ के नियम 32 के तहत अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। इस निमयावली के नियम 33 के अनुरूप आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology] IP based CCTV] Electronic Billing Machine, Deep Freezer से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा।

9. ‘‘झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025’’ के नियम 35 के तहत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों (देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ, मदिरा की कम्पोजिट दुकान) के उपर तीन गुणा आठ फीट का एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर दुकान का प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या, विक्रेता का नाम तथा इसके नीचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में ‘‘मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है", ’’शराब पीकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है", ’’21 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ताओं के लिए मदिरा का सेवन प्रतिबंधित है", ’’टोल फ्री नम्बर", इत्यादि लिखा जायेगा। इससे संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत परिपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसका सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 37 के तहत -

(i) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) - 4.5 लीटर

(बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

b) देशी मदिरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा - 4.8 लीटर

नोट - बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

(ii) अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति लेने वाले व्यक्ति को संबंधित जिला के खुदरा उत्पाद दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय किया जा सकेगा।

11. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 42 के अनुसार अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

12. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 43 के अनुसार अनुज्ञाधारी मदिरा के बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को मदिरा की बिक्री करेगा। उल्लंघन करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञाधारी के विरूद्ध यथाविनिर्दिष्ट कार्रवाई की जायेगी।

13. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 46 के तहत अनुज्ञप्तियों के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्तियों की कार्रवाई की जायेगी तथा नियम 47 के अनुसार अनियमितताओं के प्रशमन का कार्य किया जा सकेगा।

14. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 48 के अनुसार ऑनलाइन अनुज्ञप्ति होने की दशा में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुए पेट/शीशे की

बोतलों एवं उनपर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेवारी दुकान के अनुज्ञाधारी/विक्रेता की होगी।

15. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 52 के अनुसार खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-lease नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के साथ बंदोबस्ती की गई सभी अनुज्ञप्तियाँ विखंडित कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध विभाग, भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों एवं आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

17. अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा का JSBCL का विक्रय मूल्य, ई-पेमेंट के द्वारा जमा करने के पश्चात शराब का उठाव JSBCL के थोक अनुज्ञप्ति गोदाम से करेगा।

18. दुकानों के निरीक्षण, स्कन्ध का भौतिक सत्यापन एवं कागजातों की जाँच के दौरान अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

19. खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

20. शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है, अनुज्ञाधारी को अनुज्ञप्ति परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21 ऑन दुकान लाइसेंसधारी होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर मूल्य भुगतान के एवज में उपलब्ध करायेगा।

22. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा समयक रूप से निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जिसे निरीक्षणकर्त्ता प्राधिकारियों के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

23. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

24. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखेगा।

25. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।

26. ऑन परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार कूड़ेदारों में तत्काल हटाकर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घंटों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।

27. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।

28. लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित नियम 117 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

29. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति परिसर में स्वचालित अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र निश्चित रूप से लगायेगा।

30. सभी अनुज्ञप्तिधारी झारखंड राज्य में मदिरा के पॉपुलर ब्रांड को दुकान में अवश्य रखेंगे एवं मांगे जाने पर देंगे।

31. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष सिंडिकेट का सदस्य नहीं होगा।

32. सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विक्रेताओं को न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

दिनांक ....

जिला .... लाइसेंस प्राधिकारी

समाहर्त्ता/उपायुक्त

<u>सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा प्राधिकृत एजेन्टों और विक्रेताओं की सूची</u>

विक्रेता नं0 1 विक्रेता नं0 2 विक्रेता नं0 3 विक्रेता नं0 4

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*

विक्रेता का नाम	**पिता का नाम**	**बैंक खाता संख्या**	**उम्र**	**स्थायी पता**	**प्राधिकृत एजेन्ट/ विक्रेता का हस्ताक्षर**	**लाइसेंसधारी का हस्ताक्षर**

विक्रेताओं से संबंधित बैंक खाता संख्या का पूर्ण विवरण, मासिक भुगतान की राशि का विवरण प्रत्येक माह संबंधित जिला में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद

अनुज्ञप्ति प्रपत्र

मॉल में मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत मॉल में मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान की Provisional/Final अनुज्ञप्ति (Counter Foil)

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

1. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....
2. दुकान का नाम -... जिला - ....
3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -..
4. संबंधित साझेदारी फर्म/कम्पनी/HUF का नाम, यदि हो तो - ....
5. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम - ....
6. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....
7. बंदोबस्ती की ब्लॉक अवधि - ....
8. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....
9. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) ....(शब्दों में)
10. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)
11. दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र - ....
12. दुकान का अक्षांश - .... देशांतर - ....
13. भूगृहादि का विवरण (दुकान की चौहद्दी) - ....

    उत्तर - .... दक्षिण - ....

    पूरब - .... पश्चिम- ....
14. मॉल का क्षेत्रफल (क्षेत्रफल पार्किंग एरिया छोड़कर) - ....
15. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

    वित्तीय वर्ष ....

    वित्तीय वर्ष ....

"झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत मॉल में मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान की Provisional/Final अनुज्ञप्ति

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

1. अनुज्ञप्ति संख्या - .... वर्ष ....

2. दुकान का नाम -... जिला - ....

3. अनुज्ञप्तिधारी का नाम -...

4. संबंधित साझेदारी फर्म/कम्पनी/HUF का नाम, यदि हो तो - ....

5. अनुज्ञप्तिधारी के पिता का नाम - ....

6. अनुज्ञप्तिधारी का पता - ....

7. बंदोबस्ती की ब्लॉक अवधि - ....

8. अनुज्ञप्ति की अवधि - ....

9. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

10. जमानत की राशि - .... (अंकों में) .... (शब्दों में)

11. दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र - ....

12. दुकान का अक्षांश - .... देशांतर - ....

13. भूगृहादि का विवरण (दुकान की चौहद्दी) - ....

    उत्तर - .... दक्षिण - ....

    पूरब - .... पश्चिम- ....

14. मॉल का क्षेत्रफल (क्षेत्रफल पार्किंग एरिया छोड़कर) - ....

15. अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष - वित्तीय वर्ष ....

    वित्तीय वर्ष ....

    वित्तीय वर्ष ....

विदित हो कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार श्री ...., कम्पनी/ साझेदारी फर्म/HUF ...., (यदि हो तो) को .... जिला के समाहर्त्ता/ उपायुक्त के द्वारा दिनांक .... से दिनांक .... तक की अवधि के लिए "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" एवं सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तो के तहत मदिरा की "ऑफ" कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II 1915) की धारा 20 के अनुसार प्रदान की जाती है।

<u>अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्ते</u>

1. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की शर्ते अनुज्ञप्ति की शर्ते मानी जायेंगी एवं अनुज्ञाधारी को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
2. अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की प्रक्रिया "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 19 के अनुरूप की जायेगी।
3. दुकानों की अवस्थिति एवं स्थल के संबंध में निर्णय "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 20 एवं 21 के अनुसार लिया जायेगा।
4. इस अनुज्ञप्ति के तहत मॉल में विदेशी शराब की दुकानें पूर्वाहन 10:00 से रात्रि के 11:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।
5. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 28 के तहत खुदरा उत्पाद दुकानें 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी।
6. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 29 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों तथा पूर्व से अधिक मदिरापान किये हुए व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञाधारी के द्वारा ड्यूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।
7. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 32 के तहत अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निदेशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करें, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। इस निमयावली के नियम 33 के अनुरूप आयुक्त उत्पाद द्वारा निदेशित किये जाने पर अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology] IP based CCTV]

Electronic Billing Machine, Deep Freezer से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अवश्य रूप से दुकान में स्थापित करेगा एवं इसे चालू अवस्था में रखेगा।

8. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 35 के तहत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकानों के उपर तीन गुणा आठ फीट का एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर दुकान का प्रकार, अनुज्ञप्तिधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, अनुज्ञप्ति संख्या, विक्रेता का नाम तथा इसके नीचले भाग में लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में "मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है", "शराब पीकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है", "21 वर्ष से कम उम्र के उपभोक्ताओं के लिए मदिरा का सेवन प्रतिबंधित है", "टोल फ्री नम्बर", इत्यादि लिखा जायेगा। इससे संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत परिपत्र निर्गत किया जायेगा, जिसका सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 37 के तहत -

(i) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) - 4.5 लीटर (बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

b) देशी मदिरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा - 4.8 लीटर

नोट - बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

(ii) अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति लेने वाले व्यक्ति को संबंधित जिला के खुदरा उत्पाद दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय किया जा सकेगा।

10. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 42 के अनुसार अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियाँ तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका स्थानांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञाधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्ते कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।

11. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 43 के अनुसार अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा बिक्री

मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा। ऐसा करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञप्ति विखंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।

12. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 46 के तहत अनुज्ञप्तियों के निलंबन, निरस्तीकरण एवं शास्तियों की कार्रवाई की जायेगी तथा नियम 47 के अनुसार अनियमितताओं के प्रशमन का कार्य किया जा सकेगा।

13. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 52 के अनुसार खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-lease नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के साथ बंदोबस्ती की गई सभी अनुज्ञप्तियाँ विखंडित कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा जमानत की राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध विभाग भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915, इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों एवं आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

15. अनुज्ञप्तिधारी, मदिरा का JSBCL का विक्रय मूल्य, ई-पेमेंट के द्वारा जमा करने के पश्चात शराब का उठाव JSBCL के थोक अनुज्ञप्ति गोदाम से करेगा।

16. दुकानों के निरीक्षण, स्कन्ध का भौतिक सत्यापन एवं कागजातों की जाँच के दौरान अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

17. खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षोपरांत राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

18. शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है, अनुज्ञाधारी को अनुज्ञप्ति परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो। लाइसेंसधारी जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा समयक रूप से निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

20. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड, पिल्फरप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

21. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

22. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।
23. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
24. लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित नियम 117 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
25. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति परिसर में अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।
26. सभी अनुज्ञप्तिधारी झारखंड राज्य में मदिरा के पॉपुलर ब्रांड को दुकान में अवश्य रखेंगे।
27. इस अनुज्ञप्ति के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 2000 रूपया से कम खुदरा विक्रय मूल्य की मदिरा नहीं बेची जायेगी। इनके द्वारा आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन एवं ब्रीजर की सभी पैक साइज की बिक्री की जा सकेगी। अनुज्ञाधारी के द्वारा मदिरा का उठाव मदिरा में सन्निहित उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर + उत्पाद परिवहन कर), अतिरिक्त उत्पाद कर के पूर्णरूपेण जमा करने के उपरांत किया जायेगा।
28. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष सिंडिकेट का सदस्य नहीं होगा। अनुज्ञप्तिधारी मदिरा आपूर्त्ति से संबंधि किसी भी कम्पनी से किसी भी प्रकार का गिफ्ट/प्रलोभन/नगद/विदेश यात्रा/कूपन इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करेगा।
29. सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विक्रेताओं को न्यूनतम मजदूरी से कम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

दिनांक ....

जिला .... लाइसेंस प्राधिकारी

समाहर्त्ता/उपायुक्त

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा प्राधिकृत एजेन्टों और विक्रेताओं की सूची

विक्रेता नं0 1 विक्रेता नं0 2 विक्रेता नं0 3 विक्रेता नं0 4

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रेता का स्वअभिप्रमाणित फोटो*

विक्रेता का नाम	**पिता का नाम**	**बैंक खाता संख्या**	**उम्र**	**स्थायी पता**	**प्राधिकृत एजेन्ट/ विक्रेता का हस्ताक्षर**	**लाइसेंसधारी का हस्ताक्षर**

विक्रेताओं से संबंधित बैंक खाता संख्या का पूर्ण विवरण, मासिक भुगतान की राशि का विवरण प्रत्येक माह संबंधित जिला में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 236 - 50